इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर 2020—अग्रहायण 6, शक 1942

# भाग ४

## विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
- (ख) (1) अध्यादेश,
- (ग) (1) प्रारूप नियम,

- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
- (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (2) अन्तिम नियम.
- (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
- (3) संसद के अधिनियम.

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

Bhopal, the 18th November 2020

No. F. 2-27-XXVII-2-2001.—The State Government, hereby, makes the following amendments in this Department's Notification No. 2-27-XXVII-2-2001-1001, Bhopal, dated 30th August, 2001, which was issued under the provisions of Resettlement & Rehabilitation Policy of State of Madhya Pradesh, namely:—

#### **AMENDMENTS**

## In the said Policy:-

- 1. In clause 2, for the word "Members", the word "benches" shall be substituted.
- 2. For clause 3, the following clause shall be substituted, namely:-

- "3. Either of parties may terminate the contract during the period of contract appointment by giving one month's notice in advance or paying one month's salary in lieu thereof."
- 3. For clause 4, the following clause shall be substituted, namely:-
  - "4. The Chairman shall be one of the member of the benches and each bench shall consist of a retired District Judge as Judicial member and a retired IAS Officer/retired Officer of State Civil Service as administrative member."
- 4. In clause 5, for the words "in consultation with the first Chairman", the words "of Madhya Pradesh" shall be substituted.
- 5. In clause 8, for the words "in consultation with the first Chairman", the words "of Madhya Pradesh" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, S. K. BAGHEL, Under Secy.

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Bhopal, the 19th November 2020

No. 433 F. 1-250-2020-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Section 132-A of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 and 356 read with Section 127-B of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Municipality (User charges for water Supply, Sewerage and Solid Waste Management Services) Rules, 2020, namely:—

#### **AMENDMENTS**

In the said rules,

- 1. In Rule 7, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:
  - "(1) Relating to Municipal Corporations (At State Level)
  - (i) Commissioner, Directorate of Urban Chairman Administration and Development or Officer nominated by him
  - (ii) Concerned Divisional Joint Director, Member Local Fund Audit

- (iii) Joint Director (Finance), Directorate of Member Urban Administration and Development
- (iv) Commissioner, Concerned Municipal Member Corporation
- (v) Engineer-in-Chief, Directorate of Urban Member-Administration and Development Secretary.".
- 2. For sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
  - "(2) Relating to Municipal Councils/Nagar Parishads -
  - (i) Concerned Divisional Commissioner or **Chairman**Officer nominated by him
  - (ii) Concerned Divisional Joint Director, **Member**Local Fund Audit
  - (iii) Concerned Divisional Joint Director, **Member**Urban Administration and
    Development
  - (iv) Chief Municipal Officer, concerned **Member**Municipality
  - (v) Concerned Superintendent Engineer, Member-Office of Divisional Joint Director, Secretary.".

    Urban Administration and Development
- 3. In rule 16, for full stop, the colon shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be added, namely:

"Provided that the State Government may, from time to time, issue general or specific orders for proper execution of these rules."

- 4. After rule 16, the following rule shall be added, namely:
  - "17. All rules, sub-rules, bye-laws orders etc. If any, enforced for the time being on this subject, shall stand repealed on the date of publication of these rules in the Madhya Pradesh Gazette.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

## मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल-462 016 Bhopal, the 25th November 2020

No. -1381./MPERC/2020 - In exercise of power conferred under section 181(2) (zd) read with Section 45 and section 61 of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003) ,the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in the "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Supply and Wheeling of Electricity and Methods and Principles for Fixation of Charges) Regulations, [2015(RG-35(II)) of 2015]".

Whereas, the Commission had notified Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of tariff for Supply and wheeling of Electricity and Methods & Principles for Fixation of Charges) Regulations, (Second Amendment) Regulations, [2015(RG-35(II)(ii) of 2015on 14<sup>th</sup> November 2019 is applicable up to 31<sup>st</sup> March, 2021. In order to specify the terms and conditions for Distribution Tariff for the next Financial Year 2021-22, these Regulations are being amended.

#### **Short title and Commencement:**

- (i) These Regulations shall be called the "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Supply and Wheeling of Electricity and Methods and Principles for Fixation of Charges) (Third Amendment) Regulations, 2015"
- (ii) These Regulations shall come in force with effect from 01.04.2021, and unless reviewed earlier or extended by the Commission, shall remain in force for a period of one year, i.e., up to 31.03.2022. Except for the following amendments, all other provisions and term & conditions of principal Regulations shall remain unchanged.
- (iii) These Regulations shall extend to the whole of State of Madhya Pradesh.

#### Amendment to Regulations 1.3, 8.1, 8.4, 16, 17.1, 25.1, 31.3,34.6 (b) (i) and (ii)

In Principal Regulations, under Regulations 1.3, 8.1 and 16 the word "31<sup>st</sup> March 2019" shall be substituted by the word "31<sup>st</sup> March 2022".

In Principal Regulations, under Regulations 8.4, the word "31<sup>st</sup> October every year" shall be substituted by "31<sup>st</sup>December for FY2021-22".

In principal Regulations, under Regulations 17.1, the word "threeyears" shall be substituted by the word "Six years".

In Principal Regulations, under Regulations 25.1, the normative distribution loss level trajectory for control period of these Regulations shall be substituted as per table below

Sr. No.	Distribution Licensee	FY16- 17	FY17-18	FY18-19	FY19-20	FY20- 21	FY21-22
1	East Discom	18%	17%	16%	16%	16%	16%
2	West Discom	16%	15.5%	15%	15%	15%	14%
3	Central Discom	19%	18%	17%	17%	17%	17%
4	SEZ ,Pithampur	2.0%	1.9%	1.8%	1.8%	1.5%	1.5%

In Principal Regulations, under Regulations 31.3, the year "2018-19" shall be substituted by year "2021-22"

In PrincipalRegulations, the Regulations 34.6(b) (i) & (ii) shall be substituted as under:

(i) Employee expenses excluding dearness allowance, NPS expenses, pension, terminal benefits and incentive to be paid to employees: (Rs. in Crore)

FY .	East Discom	West Discom	Central Discom	SEZ Pithampur
2016-17	385	403	359	0.98
2017-18	396	415	370	1.01
2018-19	408	428	381	1.04
2019-20	1080	1133	1009	2.75
2020-21	1080	1133	1009	2.75
2021-22	913	801	814	1.33

#### ii) A& G expenses (Rs. in Crore)

FY	East Discom	West Discom	Central Discom	SEZ Pithampur
2016-17	168	129	96	1.91
2017-18	179	138	103	2.04
2018-19	192	147	110	2.18
2019-20	205	157	118	2.33
2020-21	205	157	118	2.33
2021-22	121	114	106	2.11

The information required in the formats annexed with the Principal Regulations ,shall be applicable for FY2021-22 also .

By order of the Commission,

SHAILENDRA SAXENA, Secretary.

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2020

अधि.क. 434-एफ-1-15-2018-अठारह-3.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (कमांक 23 संन 1956) की 14 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 433 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (कमांक 37 संन् 1961) की धारा 32 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

#### संशोधन

## उक्त नियमों में,-

- 1. नियम 2 में,-
  - (1) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए; अर्थात्:--
    - "(घ) "निर्वाचन" से अभिप्रेत हैं, किसी नगरपालिका में स्थान या स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन और इसमें सम्मिलित हैं, यथास्थिति, किसी नगरपालिक निगम के महापौर या किसी नगरपालिका या नगर परिषद् के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाए जाने के संबंध में निर्वाचन;"।
  - (2) खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :--
    - "(ज—1) ''महापौर'' से अभिप्रेत है, किसी नगरपालिक निगम का महापौर;''।
  - (3) खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :--
    - "(झ—1) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, किसी नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् का अध्यक्ष;"।
- 2. नियम 21 में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
  - "(क) "महापौर, अध्यक्ष या पार्षद् के स्थान के निर्वाचन हेतु नामनिर्देशन प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करेगा, जो सूचना के

प्रकाशन की तारीख के पश्चात् सातवें दिन या यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो, तो उसके आगामी दिन, जो सार्वजनिक अवकाश न हो की होगी;"।

3. नियम 25 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:--

"25. (1) नियम 21 के खण्ड (क) के अधीन नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी, या तो व्यक्तिशः या अपने प्रस्तावक के द्वारा नियम 21 के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट समय के दौरान तथा स्थान पर रिटर्निंग आफिसर या उस प्रयोजन के लिए रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत सहायक रिटर्निंग आफिसर को, सम्यक्रूप से पूर्ण विहित प्ररूप में और अभ्यर्थी द्वारा तथा महापौर या अध्यक्ष के निर्वाचन के मामले में प्रस्तावक के रूप में नगरपालिका के किसी वार्ड के किसी मतदाता द्वारा और किसी वार्ड से पार्षद् के निर्वाचन के मामले में उस वार्ड के किसी मतदाता द्वारा इस्ताक्षरित नामनिर्देशन—पत्र प्रस्तुत करेगा:

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन मतदाता के रूप में किसी निरर्हता के अध्यधीन है, प्रस्तावक के रूप में किसी नामनिर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने का पात्र नहीं होगा।

(2) इस नियम में कोई भी बात किसी अभ्यर्थी, एक से अधिक नामनिर्देशन पत्रों द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने से नहीं रोकेगी:

परन्तु किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से दो से अधिक नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे या रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।"

- 4. नियम 26 में, उप—नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—नियम स्थापित किया जाए; अर्थात्:—
  - "(1) किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा, जब तक कि उसने नियम 25 के अधीन नामनिर्देशन—पत्र प्रस्तुत करने उसके पूर्व या प्रस्तुत करते समय या रिटर्निंग आफिसर के पास निम्नलिखित राशि नगद रूप में जमा न कर दी हो या जमा न करवा दी हो, अर्थात् :-
    - (क) ''पार्षद'' के स्थान के लिए,--
      - (एक) किसी नगर परिषद् को रू 1000 / की राशि;
      - (दो) किसी नगरपालिका परिषद् को रू 5000 / की राशि;
      - (तीन) किसी नगरपालिक निगम को रू 10000/- की राशि;
    - (ख) किसी नगर परिषद् के अध्यक्ष के स्थान के लिए रू 10,000 / की राशि;

- (ग) किसी नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष के स्थान के लिए रू 15,000 / की राशि;
- (घ) किसी नगरपालिक निगम के महापौर के स्थान के लिए रू 20,000/- की राशिः

परन्तु, जहां कोई अभ्यर्थी महिला हो या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य हो वहां, इस नियम के अधीन उससे उपरोक्त राशि का केवल आधा निक्षिप्त करने की अपेक्षा की जाएगी।

- (2) जहां किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को एक से अधिक नामनिर्देशन पत्र द्वारा प्रस्तावित किया गया हो वहां उससे, उप—नियम (1) के अधीन एक से अधिक निक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाएगी।"।
- 5. नियम 72 में, उप नियम 6 में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए; अर्थात्:—
  - "(क) नगरपालिका का नाम तथा उस पद की नामावली जिससे मतपत्र संबंधित है, जैसे महापौर, अध्यक्ष या पार्षद;"
- 6. अध्याय आठ के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अन्तःस्थापित किया जाए; अर्थात्:--

#### "अध्याय आठ-क

# महापौर/अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाए जाने के संबंध में मतदान

75—क. महापौर/अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाए जाने के संबंध में प्रकिया का प्रारंभ.— यथास्थिति, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उप—धारा (3) के अधीन या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47 की उप—धारा (3) के अधीन निर्देश प्राप्त हो, राज्य निर्वाचन आयोग, यथास्थिति, महापौर या अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने के संबंध में निर्वाचन प्रकिया तुरंत आरंभ करेगा और उसे छह मास के भीतर पूर्ण करेगा।

75—ख. वर्तमान नियमों का स्थिति के अनुसार लागू बने रहना.— अध्याय आठ—क के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अध्याय एक से आठ तथा अध्याय नौ के नियम, ऐसे परिवर्तनों के साथ लागू बने रहेंगे, जैसा आयोग उचित समझे।

75—ग. मतदान की सूचना तथा उसके लिए समय—सारणी.— निर्वाचन आयोग द्वारा विहित समय—सारणी के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी प्ररूप—25 में सूचना द्वारा —

- (एक) मतदान की तारीख और समय विनिर्दिष्ट करेगा;
- (दो) मतगणना का स्थान, तारीख तथा समय विनिर्दिष्ट करेगा ।

75—घ. नियम 75—ग के अधीन सूचना के प्रकाशन की रीति.— नियम 75—ग के अधीन सूचना, मतदान के लिए विहित तारीख से कम से कम बीस दिन पूर्व सूचना की एक प्रति निम्नलिखित के सूचना पटलों पर चिपकाकर प्रकाशित की जाएगी —

- (एक) जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका);
- (दो) रिटर्निंग ऑफिसर (संबंधित नगरपालिका);
- (तीन) संबंधित नगर पालिका, और

रिटर्निंग ऑफिसर उक्त सूचना की एक प्रति संबंधित महापौर/अध्यक्ष को या उसके अभिकर्ता को परिदत्त करेगा।

75—ड. मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन.— रिटर्निंग ऑफिसर, इन नियमों के अनुसार, मतदान केन्द्रों की पर्याप्त संख्या का उपबंध करेगा और नियम 75—ग के अधीन जारी की गई सूचना के साथ मतदान केन्द्रों तथा ऐसे मतदान क्षेत्रों को, जिनके लिए वे बनाए जाएंगे, दर्शित करते हुए एक सूची प्रकाशित करेगा।

75—च. प्रतीकों का आबंटन.— राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अध्यधीन रहते हुए रिटर्निंग ऑफिसर संबंधित महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने तथा पद पर बने रहने के लिए पृथक्—पृथक् प्रतीक विहित करेगा और उसे प्ररूप 26 में प्रकाशित करेगा।

75—छ. नियम 75—च के अधीन प्ररूप 26 के प्रकाशन की रीति.— प्ररूप 26, नियम 75—ग के अधीन निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही प्रकाशित किया जाएगा और ऐसा प्रकाशन निम्नलिखित कार्यालयों के सूचना पटलों पर सूचना चिपकाकर किया जाएगा :

- (एक) जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका),
- (दो) रिटर्निंग ऑफिसर (संबंधित नगरपालिका),
- (तीन) संबंधित नगरपालिका, और

रिटर्निंग ऑफिसर, प्ररूप 26 की एक प्रति संबंधित महापौर/अध्यक्ष या उसके अभिकर्ता को भी परिदत्त करेगा।

75—ज. मतदान के परिणाम की घोषणा.— रिटर्निंग ऑफिसर, जहां तक संभव हो मतगणना के ठीक पश्चात् प्ररूप 27 में मतदान के परिणाम की घोषणा करेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी

को उसकी दो सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रतियां भेजेगा, जिसमें से एक अभिलेख के लिए होगी और दूसरी प्रति उसके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को अग्रेषित की जाएगी।

75—झ. महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने के संबंध में निर्वाचन के परिणाम की अधिसूचना.— महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने के संबंध में निर्वाचन का परिणाम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

75—ज. रिक्ति की अधिसूचना.— यदि, मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या में से आधे से अधिक ने संबंधित महापौर या अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने के पक्ष में अपना मतदान किया है, तब यथास्थिति, संबंधित महापौर या अध्यक्ष का पद, परिणाम घोषित किए जाने की तारीख से रिक्त समझा जाएगा और ऐसी रिक्ति की सूचना, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

- 7. नियम 79–क में, उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:--
  - "(1) नगरपालिका के किसी निर्वाचित महापौर, अध्यक्ष या पार्षद् का स्थान मृत्यु, अनर्हता, त्यागपत्र, बिना अनुमति अनुपस्थिति, निर्वाचन अपास्त किये जाने आदि जैसे किसी भी कारण से रिक्त हो जाने पर, यथास्थिति, नगरपालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या आयुक्त ऐसी रिक्ति के बारे में इसके होने की तारीख से सात दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना देगा।"।
- अध्याय दस में, शब्द "महापौर/अध्यक्ष" जहां कहीं भी वे आए हों उनके स्थान पर,
   शब्द "महापौर/अध्यक्ष/पार्षद्" स्थापित किए जाएं।
- नियम 83 में, शब्द "महापौर या अध्यक्ष" के स्थान पर, शब्द "महापौर या अध्यक्ष या पार्षद" स्थापित किए जाएं।

10. प्ररूप 2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

#### "प्ररूप-2

(नियम 21 देखिए)

कार्या	लय, जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)
	पार्षद् / महापौर / अध्यक्ष / के निर्वाचन की सूचना
	मध्यपदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम १९९४ के नियम २१ दारा ए

क्रमांकमध्यप्रदेश	नगरपालिका निर्वाच	ान नियम, 1994 के	नियम 21 द्वारा	प्रदत्त श	क्तियों को
प्रयोग में लाते हुए, मैं		जिल	ा निर्वाचन अधि	कारी (नग	रपालिका)
	इससे संल	ग्न अनुसूची के का	ालम (1) में विा	निर्दिष्ट न	गरपालिक
निगम/नगरपालिका परिषद्/नग	र परिषद् के महापौर	/अध्यक्ष/पार्षदों**	के निर्वाचन के	संबंध में	एतद्द्वारा,
निम्नलिखित सूचना देता हूं कि:					
					40.0

- (क) अनुसूची के कालम (2) में वह/वे स्थान विनिर्दिष्ट हैं जिसके/जिनके लिए निर्वाचन होना है;
- (ख) पार्षद्/पार्षदों के निर्वाचन के मामले में, संबंधित वार्ड/वार्डों के क्रमांक, अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट हैं;
- (ग) अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट अधिकारी, निर्वाचन का संचालन करने हेतु रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) होगा;
- (घ) अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय ही नामनिर्देशन करने का स्थान, अंतिम तारीख और समय होगा;
- (ङ) अनुसूची के कालम (६) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय ही नामनिर्देशन की संवीक्षा करने का स्थान, तारीख और समय होगा;
- (च) अनुसूची के कालम (७) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय ही अभ्यर्थिता वापस लेने का स्थान, तारीख और समय होगा;
- (छ) अनुसूची के कालम (8) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय ही जिसके दौरान मतदान होगा, मतदान की तारीख और समय होगा;
- (ज) अनुसूची के कालम (9) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय, ही मतों की गणना करने का स्थान, तारीख और समय होगा।"।

स्थान			
तारीख		जिला निर्वाचन अधिकारी	(नगरपालिका
<del></del>	•	जिला	

<sup>\*</sup>जो विकल्प उचित न हो उसे कांट दें.

# अनुसूची

नगरीय निकाय	स्थान/स्थानों का	वार्ड क्रमांक	रिटर्निंग आफिसर	नाम निर्देशन
का नाम	विवरण	(केवल पार्षद् के	का नाम तथा	करने का स्थान,
	जिसके / जिनके लिए	निर्वाचन की	पद नाम	अंतिम तारीख
	निर्वाचन होगा यथा	दशा में)		और समय
	महापौर / अध्यक्ष / पार्षद			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

नामनिर्देशन की संवीक्षा करने का स्थान, तारीख और समय (6)	अभ्यर्थिता वापस लेने का स्थान, अंतिम तारीख और समय	वह तारीख तथा समय जिसके दौरान मतदान होगा (8)	मतों की गणना का स्थान, तारीख और समय (9)		
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		

थान	
ारीख	जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)
	जिला
	नाम
	मोहर

11.	प्ररूप	2क	के	स्थान	पर,	निम्नलिखित	प्ररूप	स्थापित	किया	जाए,	अर्थात्	:·
						•	'फ्ररूप	2-क				
						(निय	म 22-	क देखि।	₹)			

	कार्यालय, रि	जेला	निर्वाचन	अधिकारी (	(नगरपालिका	)
--	--------------	------	----------	-----------	------------	---

#### सूचना

## विषय-स्थानों के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सूचना।

#### तालिका

स्थान (सीट) का विवरण	वार्ड क्रमांक	आरक्षण की स्थिति			
जिसके लिए निर्वाचन होना है	(केवल पार्षद्	(यथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित.			
(यथा महापौर/अध्यक्ष/पार्षद)	के निर्वाचन के	जाति-महिला / अनुसूचित जनजाति /			
	मामले में)	अनुसूचित जनजाति—महिला / अन्य			
	-	पिछड़ा वर्ग / अन्य पिछड़ा			
		वर्ग-महिला / सामान्य / सामान्य-महिला)			
(1)	(2)	(3)			

स्थान	हस्ताक्षर				
तारीख	जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)				
	जिला				
मुहर	नाम				
( 364 )					



#### नगरपालिका निर्वाचन "परूप–3

"प्ररूप—3 (नियम—24(2) देखिए) नामनिर्देशन पत्र

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

मैं, प्रस्तावक, \*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद निर्वाचन के लिए निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट र/करती हैं :--

करत	ग∕करती हूँ :	निर्वाचन	के पद का	विवरण					
जि	या ः			<del></del>			अभ्यर्थी का हाल ह		
							स्टाम्प आकार का	फोटो	
	गरपालिक निगम/नगरपालिका						(2 से.मी.X 2.5से.	भी )	
	षद/नगर परिषद का नाम		<u> </u>		<u> </u>		पूरे चेहरे के साम		
	द का नाम, जिसके निर्वाचन के लिए 1र्थी को नाम निर्दिष्ट किया जा रहा है.	महापौर	अ	ध्यक्ष	पार्षद्		आकृति स्पष्ट	हो,	
	द के लिए नामनिर्देशन की स्थिति में		<u></u>		<u>.l.,</u>		चिपकाने के लिए	स्थान	
	धित वार्ड का क्रमांक								
		अभ्यश	र्गी का वि	वरण					
1.	अभ्यर्थी का पूरा नाम								
2.	*लिंग	पुरूष			महिला	1	अन्य		
3,	अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम		<u> </u>						
4.	4. अभ्यर्थी के डाक का पूरा पता								
	5. अभ्यर्थ	का नाम मतदाता	सूची में	दर्ज होने	का विवरण				
	ारपालिक निगम/नगरपालिका परिषद नगर परिषद का वार्ड क्रमांक जिसमें अभ्यर्थी का नाम दर्ज है	मतदाता सूची जिसमें अभ्यर्थ	का भाग र्गी का ना	अनुक्रमांक म दर्ज हैं	मतदाता र	सूची में	अभ्यर्थी का अनुद्र	क्रमांक	
<del></del>		प्रस्ताव प्रस्ताव	क का वि	वरण					
6.	प्रस्तावक का पूरा नाम	<u> </u>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del> </del>		
7.	*लिंग	पुरुष		Г	महिला		अन्य		
		3,,,		<u> </u>					
8.	प्रस्तावक के पिता/पति का नाम					·	·		
9.	प्रस्तावक के डाक का पूरा पता								
10.	प्रस्तावक का मोबाईल नम्बर					I			
	११. प्रस्ताव	क का नाम मतदात	॥ सूची मे	दर्ज हो	ने का विवरण				
	*नगरपालिक निगम/नगरपालिका रेषद/नगर परिषद का वार्ड क्रमांक जिसमें अभ्यर्थी का नाम दर्ज है	मतदाता <sup>-</sup>	सूची का	भाग अनु	क्रमांक		मतदाता क्रमांक		
				:					
*जो	शबद लागू न हो उसे काट दें.								
	·				S				
					ATT YEART	*********	***************************************		
					प्रस्तावक के	हस्ता	क्षर/अंगूठे का नि	ोशान	
नांक			•		=117				

अभ्यर्थी	द्वारा	नामनिर्देशन	की	सम्मित

मै	जपर	उल्लिखत अभ्यर्थी	इस नाम	निर्देशन को	अपनी	सम्मति	देता,	⁄ देती	हूँ अं	रि मेरे	बारे मे	ां आवश्यक	जानकारियाँ	निम्नानुसार
Ŕ			•											

12.	जन्मतिथि	1)	1)	М	М	Υ	Y	Y	2.
13.	संवीक्षा तिथि को पूर्ण होने वाली आयु (वर्ष में)								
14.	जाति वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ /अन्य पिछड़ा वर्ग)				· .				
15.	जाति का नाम आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में								
16.	जाति के लिए अधिसूचित जिले का नाम		- 				1.		
17.	**राजनैतिक दल का नाम, जिसके द्वारा निर्वाचन में खड़ा किया गया है								
		1.			٠				. •
18.	अधिमान क्रम में चुने गये प्रतीक चिन्ह	2.							
		3.							
19.	मतपत्र में मुद्रित किए जाने वाला नाम (हिन्दी में)	·							
20.	मतपत्र में मुद्रित किये जाने वाले अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग								
21.	अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर								

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार ऊपरवर्णित जानकारी सत्य है तथा मैं उपर्युक्त \*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् के \*महापौर/अध्यक्ष/पार्षद् के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

दिनांक	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			अभ्य <b>थ</b> ना	र्थी के हस्ताक्षर/अंग् म	-

अनुक्रमांक	दस्तावेज का विवरण	संलग्न (हाँ / नहीं)
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम—24(क) के तहत् आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ.	
2.	प्ररूप—8 राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम—31(2) के तहत्	
3.	प्ररूप—9 राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम—31(2) के तहत्	
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति.	
5.	प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद.	
6.	*मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-35 के अंतर्गत विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.	
7.	*मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-35 के अंतर्गत *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.	
8.	मतपत्र पर मुदित करने के लिए अभ्यर्थी का स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन फोटोग्राफ.	
9.	अन्य –	
10.	अन्य	

•लागू न होने याला शब्द काट दीजिये. •॰राजनीतिक दल द्वारा खड़ा न किये जाने की स्थिति में सम्मुख कॉलम में "निर्देलीय" अंकित कीजिए.

~ .			अम्यर्थी	के हस्ताक्षर
दिनांक		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	नाम	

## (रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाये)

1.	नामनिर्देशन पत्र का अनुक्रमांक		
2.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख		
3.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय		
4.	*रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	अभ्यर्थी	प्रस्तावक

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का विवरण, जिसके सम्बंध में अभ्यर्थी को पावती दी गई है. (कॉलम क्रमांक-3 एवं 4 में वही जानकारी अंकित की जाये जो अभ्यर्थी की पावती में अंकित की गई है.)

	(कॉलम क्रमांक-3 एवं 4 में वही जानकारी	आकत का ज		
अनुक्रमांक	दस्तावेज का विवरण	संलग्न		दस्तावेज रिटर्निंग अधिकारी को की समयसीमा
одили	400140 41 1440 1	(हाँ / नहीं)	दिनांक एवं समय	अवसर
1	2	3	4	5
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम—24(क) के अनुसार आपराधिक पूर्ववृत्त, आिसत्यों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में श्रपथपत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ.		शपथपत्र, रिटर्निंग ऑफिसर को समय ही प्रस्तुत किया जाना अि	
2.	प्रक्तम—8 राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम—31(2) के अधीन			अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए अधिसूचित तारीख एवं समय के पूर्व
3.	प्ररूप—9 राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम—31(2) के अधीन			अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए अधिसूचित दिनांक एवं समय के पूर्व
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति.			संवीक्षा की अधिसूचित तारीख एवं समय के पूर्व
5.	प्रतिमूति राशि जमा किये जाने की रसीद.		प्रतिभूति राशि जमा किये जाने व नामनिर्देशन पन्न परिदत्त करते र अनिवार्य है.	ी रसीद, रिटर्निंग ऑफिसर को तमय ही प्रस्तुत किया जाना
6.	*मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा—17 / मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा—35 के अधीन विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.			संवीक्षा के लिए अधिसूचित तारीख एवं समय के पूर्व
7.	*मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा—17 / मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा—35 के अधीन *नगरपालिक निगम / नगरपालिका परिषद् / नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.			संवीक्षा के लिए अधिसूचित तारीख एवं समय के पूर्व
8.	मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थी का स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन फोटोग्राफ.			अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए अधिसूचित तारीख एवं समय के पूर्व
9.	अन्य –			
10.	अन्य –			

<sup>\*</sup>जो शब्द लागू न हो उसे काट दें.

र्शनांक											हस्ताक्ष	१४ पालिय र	,,, 4,
	नामनिर्देश	शन पत्र को	<b>स्वीकृ</b> त	या प्रति	नेपित क	रने के	सम्बंध	में रिव		<sup>ाम</sup> ऑफिसर		निश्चय	
और मैं	मैंने इस ना निम्नलिखित	मनिर्देशन पत्र रूप से विनिः				लिका 1	नेर्वाचन	नियम,	1994 व	हे नियम—	28 के अ	नुसार कर	! लिय
**********				***************************************	••••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	***********	••••••••••			
***********	****************	***************		*************			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,,,, <b>,,,,,,</b> ,,,					
										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		******	
			•••••	•••••									
												;; ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
,,,,,,,,,,,				•••••				.,.,				·····	
		*************	,,						•••••	**********		,,	·····
	+ 1,			·	:			·····		***********	············	······································	•••••
**********	************************************			••••••	*********	********	**********	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		**********		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•••••
	**************		***********	************		•••••	********		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	***********	,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	*********	***************************************			**************	•••••	**>*******			**********	***********		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
				···	••••••			••••••	•				
		*************	*************		·,. <b></b>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	**********	***********	•		,,
	······································		•••••				**************************************	• · · • • • • • • • • • • • • • • • • •		,			
		*********		*******							*******		
	***/*********/>***/***											·	
		:					*********	•••••••	*********				
					:						•••••	***********	
-							•			****			
क									रिटा	र्नेंग ऑपि		र पालिक	ा) के
. Tr							e Service		<del></del>	<del></del>	हस्ताक्षर	,	
	•								ना	म			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
							\$1.5		मु	हर			

## \*महापौर/अध्यक्ष/पार्षद् के अभ्यर्थी को प्रदान करने के लिए नामनिर्देशन पत्र की पावती और संवीक्षा करने की सूचना.

1.	नामनिर्देशन पत्र का अनुक्रमांक		
2.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने की तारीख		
3.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने का समय		
4.	*रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	अभ्यर्थी	प्रस्तावक
5.	अभ्यर्थी का नाम		
6.	*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का नाम		•
7.	पद का नाम जिसके निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है. (पार्षद की स्थिति में वार्ड क्रमांक भी अंकित किया जाये)		
8.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा की तिथि		
9.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का समय		
10.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का स्थान		

#### नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़ों का विवरण

अनुक्रमांक	दस्तावेज का विवरण	संलग्न (हाँ / नहीं)	यदि संलग्न नहीं है तो उक्त दस्तावेज़ रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने की समयसीमा		
			तारीख एवं समय	अवसर	
1	2	3	4	. 5	
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम—24(क) के के अनुसार आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ.		शपथपत्र, रिटर्निंग ऑफिसर परिदत्त करते समय ही प्रस्तु है.		
2.	प्ररूप-8 राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–31(2) के अधीन			नामवापसी के लिए अधिसूचित तिारीख एवं समय के पूर्व	
3.	प्ररूप—9 राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम—31(2) के अधीन			नामवापसी के लिए अधिसूचित तारीख एवं समय के पूर्व	
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति.			संवीक्षा के लिए अधिसूचित तारीख एवं समय के पूर्व	
5.	प्रतिमूति राशि जमा किये जाने की रसीद.		प्रतिभूति राशि जमा किये जा ऑफिसर को नामनिर्देशन प ही प्रस्तुत किया जाना अनिव	त्रं परिदत्त करते समय	
6.	*मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-17/ मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-35 के अधीन विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.			संवीक्षा के लिए अधिसूचित तारीख एवं समय के पूर्व	
7.	*मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-17/ मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-35 के अधीन *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.			संवीक्षा के लिए अधिसूचित तारीख एवं समय के पूर्व	
8.	मतपत्र पर मुद्धित करने के लिए अम्पर्थी का स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन फोटोग्राफ.			नामवापसी के लिए अधिसूचित तारीख एवं समय के पूर्व	
9.	अन्य —				
10.	अन्य				

देनांक रिटर्निंग ऑफिसर (नगर पालिका) के इस्ताक्षर नाम

			'प्ररूप–4				
			म 27 देरि	ख्रेए)			
		,	शन की		en e		
*नगरपालिक	निगम/नगरपालि			61	.,,.,,.,,.,,		के
	ध्यक्ष / वार्ड क्रमांक	•		-	गर्षद का ि	नेर्वाचन.	
,			· .		•		
एतदद्र	ारा यह सूचना व	री जाती है वि	के ऊपर	वर्णित	निर्वाचन	के संबंध	में निम्नर्लि
	गाज 03:00 बजे अ						
	:		3,				
नाम	अभ्यर्थी का नाम	पिता / *पति	का अभ्य	र्थी की	पता		दल से
नेर्देशन-पत्र		नाम		आयु			सम्बद्धता
का क्रमांक		4.			<i>i.</i>	. •	7.3
(1)	(2)	(3)		<u>(4)</u>	(5)		(6)
			:				
		•					
			:				
अनुसुचित ज			मुची में	प्रस्ताव	क का नाम	मतदा	ता सूची में
	गितयों/अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्गों के	भतदाता र	मूची में क्रमांक	प्रस्ताव	क का नाम		ता सूची में ावक का
ानजातियों या	गितयों / अनुसूचित	मतदाता र अभ्यर्थी का	क्रमांक	प्रस्ताव	क का नाम	प्रस्त	ावक का
ानजातियों या अभ्यर्थि	गातियों /अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्गों के	मतदाता र अभ्यर्थी का (भाग अनुक्रम	क्रमांक ांक	प्रस्ताव	क का नाम	प्रस्त अन् (भाग अन	ावक का रुक्रमांक क्रमांक
ानजातियों या अभ्यर्थि ज्ञातियों/जनज्	गतियों / अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्गों के रियों के लिए गातियों या अन्य वर्गों	मतदाता र अभ्यर्थी का (भाग अनुक्रम	क्रमांक ांक	प्रस्ताव	क का नाम	प्रस्त अन् (भाग अन	ावक का रुक्रमांक क्रमांक
ानजातियों या अभ्यर्थि ज्ञातियों/जनज्	गतियों/अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्गों के ियों के लिए गतियों या अन्य वर्गों विशिष्टियां	मतदाता र अभ्यर्थी का (भाग अनुक्रम अनुक्रमांक	क्रमांक ांक	प्रस्ताव		प्रस्त अन्	ावक का रुक्रमांक क्रमांक
ानजातियों या अभ्यर्थि जातियों/जनज्	गतियों / अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्गों के रियों के लिए गातियों या अन्य वर्गों	मतदाता र अभ्यर्थी का (भाग अनुक्रम	क्रमांक ांक	प्रस्ताव	क का नाम	प्रस्त अन् (भाग अन	ावक का गुक्रमांक क्रमांक क)
ानजातियों या अभ्यर्थि ज्ञातियों/जनज्	गतियों/अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्गों के ियों के लिए गतियों या अन्य वर्गों विशिष्टियां	मतदाता र अभ्यर्थी का (भाग अनुक्रम अनुक्रमांक	क्रमांक ांक	प्रस्ताव		प्रस्त अन् (भाग अन	ावक का गुक्रमांक क्रमांक क)
ानजातियों या अभ्यर्थि जातियों/जनज्	गतियों/अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्गों के ियों के लिए गतियों या अन्य वर्गों विशिष्टियां	मतदाता र अभ्यर्थी का (भाग अनुक्रम अनुक्रमांक	क्रमांक ांक	प्रस्ताव		प्रस्त अन् (भाग अन	ावक का गुक्रमांक क्रमांक क)
नजातियों या अभ्यर्थि जातियों/जनज्	गतियों/अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्गों के ियों के लिए गतियों या अन्य वर्गों विशिष्टियां	मतदाता र अभ्यर्थी का (भाग अनुक्रम अनुक्रमांक	क्रमांक ांक	प्रस्ताव		प्रस्त अन् (भाग अन	ावक का रुक्रमांक क्रमांक क)
ानजातियों या अभ्यर्थि ज्ञातियों/जनज्	गतियों/अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्गों के ियों के लिए गतियों या अन्य वर्गों विशिष्टियां	मतदाता र अभ्यर्थी का (भाग अनुक्रम अनुक्रमांक	क्रमांक ांक	प्रस्ताव		प्रस्त अन् (भाग अन	ावक का रुक्रमांक क्रमांक क)
ानजातियों या अभ्यर्थि ज्ञातियों/जनज्	गतियों/अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्गों के ियों के लिए गतियों या अन्य वर्गों विशिष्टियां	मतदाता र अभ्यर्थी का (भाग अनुक्रम अनुक्रमांक	क्रमांक ांक	प्रस्ताव		प्रस्त अन् (भाग अन	ावक का रुक्रमांक क्रमांक क)

<sup>\*</sup>जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

🕠 14. प्ररूप 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

## "प्ररूप–5

# [ नियम 28(8) देखिए ]

विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची

						·				
अनुक्रमांक ः	अभ्यर्थी क	ा नाम पि	•	ते का	अभ्यः	थीं का प	ाता	दल से	सम्बद्ध	ता
(1)	(2)		नाम (3)			(4)	. · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(5)	
							<del></del>	:	· ·	:
स्थान तारीख तमय	••••••				ना	म	ाफिसर (			

निर्वाचन अभिकर्ता

15. प्ररूप 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

#### "प्ररूप–6

## [ नियम 29 (1) देखिए ]

## अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए आवेदन

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्	
वार्ड क्रमाकसे पार्षद् का नि	
*नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिष	वद्/नगर परिषद् के अध्यक्ष
<u></u>	का निर्वाचन।
प्रति,	
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)	
*	
हूं, एतद्द्वारा सूचना देता/देती हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता	ऊपरवर्णित निर्वाचन में विधिमान्यता नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थ वापस लेटा /लेटी इं।
* *	आर से आपको प्रस्तुत *िकया गया∕िकए गर
नामनिर्देशन *पत्र/पत्रों की प्राप्ति की अभिस्वीकृति में जो	· -
संलग्न है।	रामित्र रामित्र मा व्याचन स्थापन रामित्र रामित्र
स्थान	
तारीख	विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी
	के हस्ताक्षर।
*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए।	
	जो **है; (तारीख)
(बजे) मुझे मेरे कार्यालय	में परिदत्त की गई थी।
तारीख	
WWG	रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)
	नाम
	मुहर
अम्यर्थिता वापस लेने के	
(आवेदन परिदत्त करने वात	त्र व्याक्त का दा जाए)
श्रीहारा, जो कि	*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/ नगर
परिषद् के वार्ड क्रमांक से *महापौर/अध्यक्ष/	/पार्षद् के लिए निर्वाचन में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट
अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थिता वापस लेने का आवेदन(*	
	) &IG (IGG
(बजे) मुझे मेरे कार्यालय में परिदत्त किया गया.	
	<del></del>
	रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)
* of the market	नाम
*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए,	•

\*\*यहां नीचे दिये विकल्पों में से एक समुचित विकल्प अंतःस्थापित करें (1) अभ्यर्थी (2) अभ्यर्थी का प्रस्तावक (3) अभ्यर्थी का

16. प्ररूप 7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

#### "प्ररूप---7

# [ नियम 29 (4) देखिए ]

# अभ्यर्थिता वापस लिए जाने की सूचना

वार्ड क्रमांकसे पार्षद् का ' *नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिष		परिषद के	अध्यक्ष		
	•				
एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि ऊप	ार वर्णित	निर्वाचन मे	ं निम्नलि	खेत विधि	मान
नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों <b>ने अ</b> पनी अभ्य <b>र्थि</b> ता,					
विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट विधिमान्यतः नाम	<u> </u>		am <del>u Ga</del>		<u> </u>
अभ्यर्थी का नाम अभ्यर्थी का प	•	•	अभ्युक्ति		
(1) (2)			(3)		<u>.</u>
					٠.
	•				
ारीख	40000000000			***************************************	
	रिट <b>र्निं</b> ग	। ऑफिसर	(नगरपालिट	जि	
				•	
	नाम		***************************************	***************************************	٠.

<sup>\*</sup>जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

17. प्ररूप 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

## "प्ररूप–8

## [ नियम 31 (2) दो देखिए ]

## राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के नामों के संबंध में सूचना

प्रात,				•
रिटर्निंग उ	गॅफिसर (नगरपालिका)			
*नगरपारि	नक निगम/नगरपालिका	परिषद् / नगर परिषद्		
जिला				
विषय:- नगरपालि	क्र निगम/नगरपालिका परि	रेषद् / नगर परिषद् *	••••••••••••	***************************************
जिला	के *महापं	ौर/अध्यक्ष/पार्षद् का	निर्वाचन, दल के	अभ्यर्थियों के नाम.
महोदय,				
मध्यप्रदेश	नगरपालिका निर्वाचन नि	यम, 1994 के नियम	31 के अनुसरप	ग में, मैं एतद्द्वारा,
सूचना देता हूं कि	ऊपर वर्णित आगामी नग	गरपालिका निर्वाचन/	निर्वाचनों में	
(दल) दारा				

पद का विवरण यथा महापौर / अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड का (केवल पार्षद् व मामले	के निर्वाचन के	अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम	अनुमोदित अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम	अनुमोदित अभ्यर्थी का डाक का पता
	अंकों में	शब्दों में			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

। प्रतिस्थानी अभ्यथी का नाम	प्रतिस्थानी अभ्यथी के पिता/पि	ते   प्रतिस्थानी अभ्यथी
जो अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम	का नाम	का डाक का पता
सवीक्षा में प्रतिक्षेपित होने पर या		
उसके लड़ने से हट जाने पर		
अभ्यर्थी के स्थान पर आएगा)		
(7)	(8)	(9)
स्थान	4	ावदीय,
(दल	की मोहर)	
	ह	स्ताक्षर
	(दल की	जिला इकाई के

प्रतिलिपि:-

कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) जिला..... की ओर सूचनार्थ.

तारीख......(दल की मोहर)

हस्ताक्षर .....

प्राधिकृत पदधारी का नाम और हस्ताक्षर)

(दल की जिला इकाई के प्राधिकृत पदधारी का नाम और हस्ताक्षर) नाम.....

<sup>\*</sup>जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

18. प्ररूप 9 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अ	अर्थात् :-	_
---	------------	---

	"प्ररूप–9	
	[ नियम 31 (2) (चार) देखि	ए ]
राजनैतिक व	ल द्वारा पदधारी को प्राधिकृत ि	केये जाने की सूचना
	दल मध्यप्र	देश
प्रति,		
रिटर्निंग ऑफिसर (नगर	•	
*नगरपालिक निगम/न जिला	गरपालिका परिषद् / नगर परिषद् 	
विषय:नगरपालिक निगम/नग	 रपालिका परिषद्/नगर परिषद्*	
	हापौर/अध्यक्ष/पार्षद् का निर्वाचन	र दल के अभार्थियों के नामों की
	गरियों को प्राधिकृत किया जाना.	, परा के जा नाजना के गांग की
महोदय,		
मध्यप्रदेश नगरपालिका	निर्वाचन निराम 1004 के निराम	31 के अनुसरण में, मैं एतद्द्वारा, यह
		जो (मध्यप्रदेश राज्य में एक) राष्ट्रीय
		रने के लिए इस दल द्वारा निम्नलिखित
व्यक्ति/व्यक्तियों को प्राधिकृत ि		THE REST AND GLASTIF INCIDAN
	दल की जिला इकाई में उसके	जिला/जिले जिसके संबंध में
लिए प्राधिकृत पदधारी का नाम	द्वारा धारित पद का नाम	उसे प्राधिकृत किया गया हैं
(1)	(2)	(3)
2. ऊपर उल्लिखित व्यक्ति/व्य	क्तयों, जो इस प्रकार प्राधिकृत ि	केया गया/किये गये/है/है,के नमूना
हस्ताक्षर नीचे दिये गए हैं:-		
नाम		नमूना हस्ताक्षर
एक. श्री	एक.	
दो. श्री	दो.	
तीन. श्री	तीन.	
		भवदीय,
स्थान	. हस्ताक्ष	₹
नारीख(दल व		अध्यक्ष / सचिव
	दल क	नाम <u></u>

<sup>\*</sup>जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

/19. प्ररूप 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

# "प्ररूप—10 [ नियम 32 देखिए ] निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

वार्ड क्रम	लेक निगम/नगरप iक लेक निगम के महाप	से पार्षद्	का निर्वाचन.	रिषद् के अध्यक्ष	
			•		
क्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी का पता (3)	दल से सम्बद्धता (4)	अभ्यर्थी की फोटो (5)	आवंटित प्रतीक (6)
1. 2. 3.					
तारीख			नाम	ऑफिसर (नगरपालिक ,	τ)

<sup>\*</sup>जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

५ 20. प्ररूप 11 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् ≔ "प्ररूप−11

# [ नियम 33(1) देखिए ]

# निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति

*न्गरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर	परिषद्वे
वार्ड क्रमांकसे पार्षद् व *नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परि	
	का निर्वाचन।
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)	
मैंनिवासीनिवासी	जो ऊपर वर्णित निर्वाचन मे
अभ्यर्थी हूं, एतद्द्वारा श्रीर्	नेवासी को ऊपर वर्णित
निर्वाचन में आज से अपना निर्वाचन अभिकर्ता के र	<sub>कप में</sub> नियुक्त करता∕करती हूं।
स्थान	
तारीख	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
	(नाम)
मैं, ऊपर वर्णित नियुक्ति को स्वीकार करता	्रह्र.
स्थान	
तारीख	निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर
समय	(नाम)
अनुमो।	दित
₽	टर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) के हस्तााक्षर
	नाम
	मुहर

<sup>\*</sup>जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

ृ21. प्ररूप 12 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--"प्ररूप—12

# [ नियम 34 (1) देखिए ] मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति

<b>मत</b> दान अभिकर्ताओं व	<b>गि नियुक्ति</b>
*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परि वार्ड क्रमांकसे पार्षद् का वि	नेर्वाचन.
*नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिषद्/	नगर परिषद् के अध्यक्ष
	का निर्वाचन।
मैं,जो ऊपर वर्णित निर्वा	4,
अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता हूं, एतद्द्वारा श्री/श्रीमर्त	।पतापता
*(मतव	
में उपस्थित रहने के लिये मतदान अभिकर्ता के	रूप में नियुक्त करता/करती हूं।
स्थान	
तारीख	अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर
	(नाम)
मैं, ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के	
न, इस नरावान आनवता क राव न काव करन क	लिय राह्नात हू
स्थान	
तारीख	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
	(नाम)
*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.	
मतदान अभिकर्ता की घोषणापीठासीन अधिका	री के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं
मैं, एतद्द्वारा, यह घोषणा करता हूं/करती हूं	कि मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन में साधारणतः
निर्वाचन और विशिष्टतः मत दिये जाने की गोपनीयता कोई कार्य नहीं करूंगा / करूंगी।	से संबंधित विधि तथा नियमों द्वारा निषिद्ध
	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
	(नाम)
तारीख	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए
	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
	(नाम)

<sup>\*</sup>जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

# 22. प्ररूप 13 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :-''प्ररूप-13

# [ नियम 35 (1) देखिए ] गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् वार्ड क्रमांकसे पार्षद् का नि	
*नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिषद्/न	
	का निर्वाचन।
प्रति,	
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)	
मैं जो ऊपर वर्णित	न निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, *ऊपर वर्णित
ं निर्वाचन में अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता हूं, एतद्द्वारा १	गी / कू. / श्रीमती
पताको (गणना के लिये	
वाली मतों की गणना में उपस्थित रहने हेतु अपने	गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त
करता / करती  हूं.	
स्थान	
तारीख*:	अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर
	(नाम)
मैं, ऐसे गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के ि	लेए सहमत हूं.
स्थान	
नारीख	गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर
	(नाम)

\*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

# गणन अभिकर्ता की घोषणा पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जाए

	मैं, एतद्ह	द्वारा, यह	इ घोषणा	करता	ह्ं,	/ करती	हूं 1	कि गं	मैं ऊपर	वर्णि	त नि	र्वाचन	में सा	धारणतः
निर्वा	व्रन और वि	शिष्टतः	मत दिये	जाने	की	गोपनीय	ाता	से र	नंबंधित	विधि	तथा	नियमों	द्वारा	निषिद्ध
कोई	कार्य नहीं व	करूंगा /	'करूंगी.											
· .	•					- •								

······································
गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम)
हस्ताक्षर किए गए
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर
(नाम)
मुहर

<sup>\*</sup>जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

23. प्ररूप 14 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

## "प्ररूप–14

# (नियम ३९ देखिए)

# निर्विरोध निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिष	द्के
वार्ड क्रमांकसे पार्षद् का नि	ार्वाचन.
*नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिषद्/	नगर परिषद् के अध्यक्ष
<b>3330</b> 01	का निर्वाचन।
मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के	नियम 39 के उपनियम (1) के अनुसार में,
मैं घोषित करता हूं कि:	
	(नाम)
	(nar)
	(पता)
द्वारा प्रायोजित	
**जो (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का नाम)	द्वारा खड़े
किये गए/खड़ी की गई, ऊपर वर्णित निर्वाचन में महा	पौर/अध्यक्ष/पार्षद् के रूप में सम्यक्रूप
से निर्वाचित हुए है।	
स्थान	
तारीख	
	<del>1</del>
	रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)
	(मुहर)

<sup>\*</sup>जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

<sup>\*\*</sup>यदि अपेक्षित न हो तो उसे काट दीजिए.

ू 24. प्ररूप 15 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

## "प्ररूप—15

	(1	नियम 49(2)(ग) दे	खिए)	
	अ	भ्याक्षेपित मतों की	। सूची	
*नगरपालिक नि	गम / नगरपालिका परि	रेषद्/नगर परिष	₹	के
वार्ड क्रमांक	***************************************	से पार्षद् का ि	नेर्वाचन.	
*नगरपालिक निग	ाम के महापौर/नगर	पालिक परिषद्/ः	नगर परिषद् के अध्यक्ष .	*************
		*************************	का	निर्वाचन।
प्रविष्टि का	मतदाता का नाम	मतदाता सची की	ो प्रविष्टि की विशिष्टियां	अभ्याक्षेपित व्यक्ति
अनुक्रमांक		मतदाता सूची	मतदाता का	के अंगूठे का निशान
		का भाग	अनुक्रमांक	या हस्ताक्षर
		क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				**
अभ्याक्षेपित व्यक्ति	पहचानकर्ता का	अभ्याक्षेपकर्ता का	,	निक्षेप वापस प्राप्त
का पता	नाम, यदि कोई हो	नाम	का आदेश	करने पर अभ्याक्षेपकर्ता के
				हस्ताक्षर
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
तारीख				
			0 0 0	
			पीठासीन अधिकारी के	हस्ताक्षर
			नाम	

<sup>\*</sup>जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

25. प्ररूप 16 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

#### "प्ररूप-16

# (नियम 52(1) देखिए)

## अंधे/शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणा-पत्र

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्के
वार्ड क्रमांकसे पार्षद् का निर्वाचन.
*नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिषद्/नगर परिषद् के अध्यक्ष
का निर्वाचन।
मेंपितापिता
न
VIY
एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि –
(क) मैंने आज तारीखको किसी मतदान केन्द्र पर अन्य मतदाता के
साथी के रूप में कार्य नहीं किया है;
(ख) मैं, श्री / कु. / श्रीमतीजो मतदाता सूची
के अनुक्रमांक भाग क्रमांकपर दर्ज है के निमित्त मेरे द्वारा
अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखूंगा/रखूंगी.
स्थान
तारीख
साथी के हस्ताक्षर
(नाम)।"।
प्रतिहस्ताक्षरित
पीठासीन अधिकारी
मतदान केन्द्र क्रमांक

\*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

26. प्ररूप 17 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"प्ररूप—17 (नियम 54 (2) देखिए) निविदत्त मतों की सूची

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्	वार्ड क्रमांकसे पार्षद् का निर्वाचन।	*नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिषद्/नगर परिषद् के अध्यक्ष	का निर्वाचन।

			<b>*</b>
मत निविदत्त करने वाले व्यक्ति के	हस्ताक्षर या अगूठे का निशान	(8)	
व्यक्ति को, जिसने मत डाल दिया,	जारी किए गए मतपत्र का अनुक्रमांक	(2)	
निविदत्त मतपत्र का अनुक्रमांक		(9)	
मतदाता का पता		(2)	
सूची की प्रविष्टि की विशिष्टियां	मतदाता का अनुक्रमांक	(4)	
मतदाता सूची <i>से</i> विशिष्ठि	मतदाता सूची का भाग क्रमाक	(3)	
मतदाता का नाम		(2)	
अनुक्रमांक		(1)	न रि

\*जो विकल्य उचित न हो उसे काट दीजिए.

27. प्ररूप 17-क के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

## प्ररूप—17—क (नियम 63 ट के उप नियम (1)(क) देखिए)

## मतदाता रजिस्टर (जहां इलेक्ट्रानिक कोटिग मशीन द्वारा मतदान किया जाएगा)

Ą		•	ा परिषद् / नगर परिषद् र्ड क्रमांक	से पार्षद् का निर्वाचन	के त्र।
	अनुक्रमांक	मतदाता सूची में मतदाता का क्रमांक	मतदाता द्वारा अपनी पहचान के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरे	मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	अभ्युवित
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1.				
	2.				
	3.				
;	4.				
	5.				
	6.				

•••

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

<sup>\*</sup>जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

28. प्ररूप 18 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

#### "प्ररूप—18

(नियम 57 देखिए)

## मतपत्र लेखा

	से पार्षद् का रि			
।गरपालिक निगम	के महापौर/नगरपालिक प			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				का ।नवायन ।
ादान केन्द्र का क्रमां	<sub>क</sub> और	नाम		
			अनुक्रमांक	कुल संख्या
İ		कहां से	कहां तक	
	कारी द्वारा प्राप्त मतपत्र			
उपयोग में न	लाए गए मतपत्र			
	पर उपयोग में लाए गए			
मतपत्र (1-2=	3) में उपयोग में लाए गए किन्तु म	कोरी में नहीं र	ाने गा। मनाव	<u> </u>
मतदान केन्द्र	म अपयागः म लाए गए ।कन्तु म	तिपटा न नहा ७	ाल गए गरापत्र	
क. मुद्रण की	त्रुटि के कारण रदद किए			
गए मतपः	1			
	तपत्रों के रूप में उपयोग			
में लाए ग ग. रदद किए				
ग. रद्द ।कए	गए मतपत्र		·	
	योग (क+ख+ग)			
मतपेटी में पाए	जाने वाले मतपत्र			
(3-4=5)		•		
(*अनुक्रमांक दे	ने की आवश्यकता नहीं है)			
-			•	
स्थान	***************************************		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
तारीख	***************************************	· .	***************************************	
			पीठासीन अधिकारी	के हस्ताक्षर
			401011 019470	7. 6.00
•	4.			
*जो विकल्प उचि	त न हो उसे काट दीजिए.			
	भाग—दो — प्रारं	भेक गणना का	परिणाम	
मतदान केन्द्र १	नें उपयोग में लाई गई मता	मेटी (मतपेटियों	). में पाए गए मतपः	त्रों की कुल संख्या.
इस भाग में मर	द 1 में दर्शाई गई कुल संर	ड्या और भाग-	-1 की मद 5 में दश	र्गियी गई मतपेटी
	पाए गए मतपत्रों की कुल			
ब			. *	
	•			
		. ग	णन पर्यवेक्षक के हर	स्ताक्षर ,
		(₹	गम	)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••		
		रि	टर्निंग आफिसर (नग	ारपालिका) के हस्त
		_	गम	`

29. प्ररूप 18-क के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

#### "प्ररूप—18—क

(नियम 63 थ देखिए)

भाग 1—आमालाखत मत	
नगरपालिक निगम/नगरपालिक परिषद्/नगर परिषद्	के
महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन तथा वार्ड क्रमांक	से पार्षद् का निर्वाचन
तदान केन्द्र क्रमांक और नाम	नियंत्रण इकाई क्र
तदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान मशीन का पहचान संख्यांक मतदान इर	माई क्र. 1
	2
प्रिन्टर क्र.(यदि प्रयुव	त्त हुआ है)
डेटेचबल मेमोरी मॉडयूल (डी.एम.एम.) का संख्यांक	
1. मतदान केन्द्र में नियत निर्याचकों की कुल संख्या	
<ol> <li>मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या</li> </ol>	
<ol> <li>मतदान मशीन में अभिलिखित मतदाताओं की संख्या</li> </ol>	
<ol> <li>नियम 63ठ के उपबंध के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात</li> </ol>	
<ol> <li>मतदान न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या</li> </ol>	
6. निविदत्त मतपत्रों की संख्या	
	अनुक्मांक
कूर	ततक नतक
(क) प्रयोग के लिए प्राप्त	
(ख) निर्वाचकों को जारी किए गए	
(ग) प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए गए	
7.  कागज की मुहरों का लेखा	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
<ol> <li>उपयोग के लिए प्रदाय की गई कुल सं</li> </ol>	1
कागज की मुहरें अनुक्रमांकसेत	क 2
2. प्रयुक्त हुई कागज की मुहरें कुल सं	3
अनुक्रमांकसेत	क 4
3. रिटर्निंग आफिसर को वापस की कुल सं	5
गई अप्रयुक्त कागज की मुहरें. अनुक्मांकसेसे	,,तक 6
4. नष्ट हुई कागज की मुहरे कुल सं	
यदि कोई हों अनुक्रमांकसे	तक
ान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर मतदान क्रेन्द्र क्र
ोख	Mai Laza azimininin
भाग2	•
प्रारंभिक गणना का परिणा	म
	वाटिंग नराम (इ.व्हा.एम.) न पार गर् नरा
<b>ही कुल संख्या</b>	
2. भाग 1 के शीर्ष—3 के साथ इस भाग के शीर्ष—1 में	गए मतों की कुल संख्या मे कोई अंतर,
पदि कोई हो	
गरीख	
थान	
	गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
	नाम
	रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्त
=	नाम

30. प्ररूप 19 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

#### "प्ररूप-19

### [ नियम 63 (2) देखिए ] निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र के लिए आवेदन

रियालिक निगम क महासार/	नगरपालिक परिषद् / नगर परिषद् व	_
प्रति,		पा गिपापग
रिटर्निंग आफिसर (	नगरपालिका)	
जिला	••••••	
महोदय, मैं, ऊपर वर्णित नि	र्वाचन में अपना मत देना चाहता/	वाहती हूं. मुझे *नगरपा
	(/नगर परिषद्र्जना	
मतदान कन्द्र क्रमाक	पर निर्वाचन कर्त्तव्य पर निय्	ुक्त किया गया है।
2. मेरा नाम ऊपर	वर्णित नगरपालिक निगम/नगरपारि	लेक परिषद् / नगर परिष
	वर्णित नगरपालिक निगम/नगरपाि तदाता सूची के भाग अनुक्रमांक	•
		•
वार्ड क्रमांककी मत् पर प्रविष्ट है।		के भाग क्रमांक
वार्ड क्रमाककी मत् पर प्रविष्ट है।	तदाता सूची के भाग अनुक्रमांक	के भाग क्रमांक
वार्ड क्रमांककी मत् पर प्रविष्ट है। 3. निवेदन है कि मु	तदाता सूची के भाग अनुक्रमांक	के भाग क्रमांक
वार्ड क्रमांककी मत पर प्रविष्ट है। 3. निवेदन है कि मु मैं अपना मत दे सकूं।	तदाता सूची के भाग अनुक्रमांक	के भाग क्रमांक निलखित पते पर भेजें, व
वार्ड क्रमांककी मत पर प्रविष्ट है। 3. निवेदन है कि मु मैं अपना मत दे सकूं।	तदाता सूची के भाग अनुक्रमांक	के भाग क्रमांक निलखित पते पर भेजें, व

<sup>\*</sup>जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

31. प्ररूप 19 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

"प्ररूप—19—क [नियम 63 (4) (क) देखिए]

लिफाफा-क

(ক)

गणना के पूर्व न खोला जाए

\*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.....के वार्ड क्रमांक......के लिए \*महापौर/अध्यक्ष/पार्षद् का निर्वाचन.

निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र

मतपत्र का अनुक्रमांक....."

<sup>\*</sup>जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

32. प्ररूप 19—ख के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

# प्ररूप—19—ख [नियम 63 (4) (ख) देखिए] लिफाफा—ख

(ख)	गणना के पूर्व न खोला जाए	
		निर्वाचन तत्काल
*नगरपालिक निगम/नगरपा	लेका परिषद् / नगर परिषद्	के
*महापौर/अध्यक्ष/ वार्ड क्रम	ांक से पार्षद् का निव	चिन.
	निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र	
3	गति,	
	रिटर्निंग आफिसर (नग	रपालिका)
	जिला	
भेजने वाले के हस्ताक्षर।"।		

33. प्ररूप 19-ग के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

#### "प्ररूप-19-ग

# [नियम 63 (4) (ग) देखिए]

# निर्वाचन कर्त्तव्यारूढ़ मतदाता द्वारा घोषणा

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर *महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांकके पार्ष	
मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं वि वाला निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र जारी किया गया है	
तारीख	
	मतदाता के हस्ताक्षर
	(नाम)
	पता
हस्ताक्षर का अ	भिप्रमाणन
ऊपर वर्णित(मत	दाता) ने, जिसे मैं, व्यक्तिगत रूप से
जानता / जानती   हूं / जिसे	पहचानकर्ता ने, जिसे मैं, स्वय
जानता / जानती हूं, मेरे समाधानप्रद रूप में पहचा	ना है, मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं.
पहचानने वाले के हस्ताक्षर, यदि कोई हो	अभिप्रमाणनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम	(नाम)
पता	पदनाम
	पता
	तारीख

<sup>\*</sup>जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

34. प्ररूप 19-घ के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

#### "प्ररूप-19--घ

#### [नियम 63 (4) (घ) देखिए]

#### निर्वाचन कर्त्तव्यारूढ़ मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर	परिषद्के
*महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक	से पार्षद् का निर्वाचन.

- 1. इसके साथ भेजे गए मतपत्र पर जिन व्यक्तियों के नाम मुद्रित हैं वे उक्त वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं. आप जिस अभ्यर्थी को अपना मत देना चाहते हैं उसके नाम के सामने इस प्रायोजन से दिए गए स्थान पर स्पष्ट रूप से चिन्ह लगाकर अपना मत अभिलिखित करें। चिन्ह ✓ या × या किसी अन्य रीति में ऐसे स्थान पर लगाया जा सकता है जिससे स्पष्ट और बिना किसी संदेह के परे यह उपदर्शित हो जाए कि आप किस अभ्यर्थी को अपना मत दे रहे हैं. यदि चिन्ह इस प्रकार लगाया गया है जिससे यह संदेह हो कि आपने अपना मत किस अभ्यर्थियों को दिया है तो आपका मत अविधिमान्य हो जाएगा.
- 2. मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के लिए अपेक्षित चिन्ह से भिन्न न तो अपने हस्ताक्षर करें न कोई शब्द लिखें, न ही कोई लेखन चिन्ह लगांए।
- 3. मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात मतपत्र को आप इसके साथ भेजे गए "क" चिन्हित छोटे लिफाफे में रखे. लिफाफे को बंद कर दें और उसे मुहर लगाकर या अन्यथा सुरक्षित रूप से बंद कर दें.
- 4. फिर आप प्ररूप 19 ग में इसके साथ भेजी गई घोषणा पर नीचे विनिर्दिष्ट अधिकारियों में से किसी अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके अपने हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करा लें—
  - (क) यदि आप शासकीय सेवक हैं या किसी नगरपालिका अथवा सरकारी उपक्रम के कर्मचारी हैं तो जहां आप कार्यरत् हैं उस कार्यालय का कार्यालय प्रमुख.
  - (ख) कोई राजपत्रित अधिकारी, जो आपको जानता है या उस मतदान केन्द्र का, जिस पर आप निर्वाचन—कर्त्तव्यारूढ़ हैं, पीठासीन अधिकारी.

### (ग) नायब तहमुहरदार से अनिम्न श्रेणी का कोई राजस्व अधिकारी.

आप यह घोषणा ऊपर वर्णित विनिर्दिष्ट अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी के पास ले जाएं और आपकी पहचान के बारे में उसका समाधान हो जाने के पश्चात् उसकी उपस्थित में इस पर हस्ताक्षर यह अधिकारी आपके हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करके घोषणा आपको लौटा देगा। आप अपना मतपत्र अभिप्रमाणन अधिकारी को नहीं दिखाए और नहीं उसे यह बताएं कि आपने किस को मत दिया हैं.

- 5. आपकी घोषणा हस्ताक्षरित हो जाने और आपके हस्ताक्षर अभिप्रमाणित किए जाने के पश्चात आप प्ररूप 19—ग में घोषणा और साथ ही "क" चिन्हित में छोटा लिफाफा (जिसमें मतपत्र रखा गया है) को "ख" चिन्हित बड़े लिफाफे में रखें। बड़े लिफाफे को बंद करने के पश्चात इसे रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) को डाक से या संदेश वाहक के मार्फत भेजे अथवा उसे व्यक्तिशः परिदत्त करें. कृपया "ख" चिन्हित बड़े लिफाफे को रिटर्निंग आफिसर को भेजने या सौंपने के पूर्व उस पर अंकित प्रविष्टियों की पूर्ति कर लें.
- 6. आप यह सुनिश्चित कर लें कि मतगणना हेतु नियत समय और तारीख के पूर्व पर अर्थात ......को पूर्वाह्न/अपराह्न.......बजे के पूर्व लिफाफा रिटर्निंग आफिसर के पास पहुंच जाए.
- 7. क्पया यह भी ध्यान रखें कि :--
  - (एक) यदि आप अपनी घोषणा ऊपर उपदर्शित रीति में अभिप्रमाणित या प्रमाणित कराने में असफल रहते हैं तो आपका मतपत्र प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा;
  - (दो) यदि लिफाफा रिटर्निंग आफिसर के पास नियत समय और तारीख के पश्चात पहुंचता है तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी.

35. प्ररूप 20 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

# ''प्ररूप—20 [नियम 66 (10) देखिए]

# निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्रों की गणना का परिणाम

	क निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर प हसे पार्षद् का	•
		द्/नगर परिषद् के अध्यक्ष
निर्वाचन।		का
अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य
(1)	(2)	मतों (3)
2. (क) विधि	भ्रेमान्य निर्वाचन कर्त्तव्य मतों की कुल संर	ख्या
(ख) अवि	) धिमान्य निर्वाचन कर्त्तव्य मतों की कुल र	मरब्या
	हुए कुल विधिमान्य निर्वाचन कर्त्तव्य मत	
^	······································	रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर (नाम).

<sup>\*</sup>जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

36. प्ररूप 21 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

# "प्ररूप—21 [नियम 66 (10) देखिए] गणना का परिणाम

वार्ड क्रमांव	क निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर हसे पार्षद् क	ा निर्वाचन.
*नगरपाल	क निगम के महापौर/नगरपालिक परि	षद्/ नगर पारषद् क अध्यक्षका का
निर्वाचन।		
मतदान के	न्द्र क्रमांक	
अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य
(1)	(2)	मतों की संख्या (3)
` '	प्रेमान्य मतों की कुल संख्या धिमान्य मतों की कुल संख्या	
(ग) डा	ने गए मतों की कुल संख्या	
		गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर (नाम)
		िरटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर (नाम)
स्थान तारीख		
	चित न हो उसे काट दीजिए.	

37. प्ररूप 21-क के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

#### "प्ररूप-21-क

(नियम 69 ख देखिए) गणना का परिणाम (जहां इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से निर्वाचन कराया जाएगा)

नगरपादि	 तक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्	के
महापौर,	/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांकसे पा	र्षद् का निर्वाचन.
	(महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद् के लिये	पृथक-पृथक भरा जाए)
	मतद	तन केन्द्र क्रमांक
क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन नियंत्रण यूनिट के अनुसार प्राप्त
		मतों की संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
(ক) अन <u>्</u> ड	र/नो वोट की संख्या	
	ूर्ण मतों की संख्या	
	क्त में से कोई नहीं (नोटा)	
	A) Morrey	गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर र्वाचन अभिकर्ता / गणना अभिकर्ता का नाम तथा
	अस्पया / । न	पूर्ण हस्ताक्षर
स्थान		
तारीख		
		रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर म)

١

38. प्ररूप 22 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

"দুৰূष—22

(F)
08
7

<b>ज</b>	٠
ซ	
9	
9	
<u>7</u>	,
L	

* + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	पालिक निगम/नग	*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पनि	परिषद्		के *महापीर 🗸	के *महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक		से पार्षद् का निर्वाचन	र्वाचन.
* *	त्पालिक निगम के म	*नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिक परिषद/नगर परिषद के अध्यक्ष	द्ग/नगर परिषद	के अध्यक्ष					
	का निर्वाचन।	निर्वाचन ।					2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		***************************************
				अंतिम परिणाम–पत्र	F-43		•		
अनुस्र	अनुक्रमांक अभ्यर्थी का नाम	नाम अभ्यर्थी के पक्ष में	Take Share	अभ्यर्थी के पक्ष में र	डाले गए विधिमान्य मतों की मतदान केन्द्रवार संख्या	न्य मतों की मत	दान केन्द्रवार सं	ख्या	महायोग
E	(2)	डाले गये विधिमान्य			<b>y</b>	(4)			(5)
		निर्वाचन कर्तव्य मतों की संख्या	मतदान केन्द्र क्रमांक	मतदान केन्द्र क्रमांक	मतदान केन्द्र क्रमांक	मतदान केन्द्र क्रमांक	मतदान केन्द्र क्रमांक	मतदान केन्द्र क्रमांक	(3+4)
		(3)							
		:							
2	(एक) विधिमान्य मतों की कल संख्या	ें की कल संख्या					-		
			-	:	ŧ				
	(रा) जापावनान्य म्	(रा) आयावनान्य नता का कुल तस्त्रा	***************************************						
	(तीन) डाले गए विधि	(तीन) डाले गए विधिमान्य मतों की कुल संख्या				गणना प	गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर	क्षिर	
	(चार) विधिमान्य निव	(चार) विधिमान्य निर्वाचन कर्त्तव्य मतों की कुल संख्या	संख्या						
	(पांच) अविधिमान्य ि	(पांच) अविधिमान्य निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या	ल संख्या			(नाम			(
	छह) डाले गये ि	(छह) डाले गये निर्वाचन कर्त्तव्य मतों की व	क्ल संख्या	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
	सात) उपरोक्त में	(सात) उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा)"							
स्थान	स्थान					1			
-						ic	हस्ताक्षर		
तारीर	तारीख					<b>4</b> 2	रेटर्निंग अधिका	रिटर्निंग अधिकारी (नगरपालिका) के हस्ताक्षर	) के हस्ता
						ļ	i		:

39. प्ररूप 23 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

#### ''प्ररूप—23 (नियम 74 देखिए) निर्वाचन की घोषणा सह—विवरणी

*नगरपालि	।न० क निगम/नगरपालिका परि	ाचिन की घोषण षद⊅नगर परिष			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	baaaaaaaaaaaaa	के
	<del>,स</del>		•				
*नगरपालि	क निगम के महापौर/नगर	पालिक परिषद्/		•			******
		(1) निर्वाचन व			।गपायग ।		
क्रमांक (1)	अम्यर्थी का नाम (2)	दल से र (3			• .	ों की संख्या 1)	<u> </u>
							٠
डाले गए वि उपरोक्त में प्रतिक्षेपित म	की कुल संख्याविधमान्य मतों की कुल संख्य से कोई नहीं (नोटा) मतों व तों की कुल संख्या	गग कुल संख्या			•••••		
निविदत्त मत	ों की कुल संख्या(2) विवर	णी के आधार पर					
	ञ्स्ता हूं कि :		*				
सम्यक् रूप	से निर्वाचित हुए हैं / हुई हैं	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ह	स्ताक्षर		•
तारीख		•	•	रि	टर्निंग आफि	सर (न.पा.)	
				( <del>-</del>	तम	***************************************	)

\*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए।

40. प्ररूप 24 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

# "प्ररूप—24 (नियम 75 देखिए)

# निर्वाचन का प्रमाण-पत्र

में *नगरपालिक	निगम / नगरपालिक	ा परिषद् ∕ नगर	र परिषद्	.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
जिला	का लिए रिटनि	ांग आफिसर (	(नगरपालिका)	एतद्द्वारा प्रमा	गेट
करता हूं कि मैंने	(सन्) के	,	(माह) की	तारीख	.के
यह घोषित कर दिया है	कि श्री/श्रीमती,	⁄ कु		************	
निवासी	***************************************	•••••		. :	
जो	(मा	यता प्राप्त राज्	नीतिक दल व	ठा नाम) द्वारा र	खड़े
किए गए/की है, *नगरप	।।लिक निगम/नग	रपालिका परिषद	(/नगर पार्षद.		••••
के महापौर अध्यक्ष वार्ड व	<del>ज्</del> मांक	से पार्षद् के	रूप में सम्यव	क्र रूप से निर्वा	चेत
हो गए/गई हैं और इसव	के साक्ष्य स्वरूप मैं	ने उन्हें यह निव	र्गाचन का प्रमाप	ग—पत्र प्रदान वि	व्य
है ।			e Artis		
स्थान			हस्ताक्षर		
तारीख			रिटर्निंग आ	फिसर (न.पा.)	
			नाम		10
			<b>मु</b> हर	••••••	•

<sup>\*</sup>जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए।

# 41. प्ररूप 25 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

#### "प्ररूप–25

# (नियम-75-ग देखिए)

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिव	ग), जिला
महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने संबंध	य में निर्वाचन की सूचना
क्रमांकमध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधि (2) / मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा—47 की नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, ने राज्य निर्वाचन आयोग क के महापौर / नगरपालिका परिषद् / नगर प श्री / श्रीमती को वापस बुलाने के संबंध में मतदान कि तीन—चौथाई पार्षदों ने वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर हस्त	। उप धारा (2) के अधीन मध्यप्रदेश शासन् ो नगरपालिक निगमके अध्यक्ष गरिषद्के अध्यक्ष कराने का निर्देश इस आधार पर किया है
यतः मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 व नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा—47 की उप धारा (3) बुलाए जाने के संबंध में नियमानुसार मतदान की व्यवस्था कर निदेश दिया है; अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994	के अधीन उक्त महापौर/अध्यक्ष को वापस् ने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मुझे के नियम 75–ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को
प्रयोग में लाते हुए, मैंजिला निर्वाचन	•
नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् महापौर/अध्यक्ष श्री/श्रीमती के लिए एतद्द्वारा निम्नानुसार सूचना देता हूं :–	
(एक) मतदान दिनांककोको पूर्वान्ह से	बजे अपरान्ह तक होगा.
(दो) मतगणन दिनांकको स्थानको स्थान	पर,बजे
पूर्वान्ह सेबजे अपरान्ह तक होगी।	
(तीन) इस मतदान के लिए श्री(राजस्व), रिटर्निंग आफिसर होंगे।	कलक्टर/अनुविभागीय अधिकारी
धान:	
देनांक:	जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) जिला

# 42. प्ररूप 26 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

#### "प्ररूप−26

#### (नियम-75-च देखिए)

महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में मतदान

नगरपालिक निगम/नगरपालिक	ा परिषद् / नगर परिषद्	के महापौर/अध्यक्ष
श्री / श्रीमती	को वापस बुलाने के संबंध में	मतदान
नाम	मतदान का विकल्प	प्रतीक
(1)	(2)	(3)
	क—वापस बुलाने के लिए	
	(पद रिक्ति के लिए)	
	ख—वापस बुलाने के विरुद्ध	
	(पद पर पूर्ववत् बने रहने के लिए)	
स्थानः		रेटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) —
तारीखः		गम ।" ।
महापौर/अध्यक्ष के	(नियम—75—ज देखिए) ो वापस बुलाने के संबंध में मतदान के	परिणाम की घोषणा
	ागरपालिका परिषद् ∕ नगर परिषद् मती	
	को हुए मतदान में कुल.	= :
	वापस बुलाने के पक्ष में तथा	and the second s
	मत अवैध पाये गये थे	
अतएव, मैं	, रिटर्निंग ऑ	फिसर, एतद्द्वारा, यह घोषण
करता हूं कि मतदान करने	वाले मतदाताओं की कुल संख्या के उ	आधे से अधिक/आधे से कम
मतदाताओं ने महापौर/अध्यक्ष	ा को वापस बुलाने के पक्ष में मतदान वि	केया है जिसके परिणामस्वरूप
महापौर/अध्यक्ष, पद मुक्त मा	ना जायेगा / पद पूर्ववत् धारण करता रहे	गा ।
	हस्ताक्षर (रिटर्निंग आफि	सर)
स्थान	नाम	······································
•		

Noti.No. 434 F 1-15/2018/18-3: In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 read with 433 of Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and section 355 read with sub-section (2) of section 32 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961, the State Government, in consultation with the State Election Commission, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Nagar Palika Nirvachan Niyam, 1994, namely:-

#### **AMENDMENTS**

In the said rules,-

- 1. In Rule 2,-
  - (1) For clause (d) the following clause shall be substituted, namely:-
    - "(d) "Election" means an election to fill a seat or seats in Municipality and includes the election in relation to recall the Mayor of a Municipal Corporation or the President of a Municipality or Nagar Panchayat from his office as the case may be;".
  - (2) After clause (h), the following clause shall be added, namely: -
    - "(h-1)"Mayor" means the Mayor of a Municipal Corporation;".
  - (3) After clause (i), the following clause shall be added, namely: -
    - "(i-1) "President" means the President of a Municipal Council or a Nagar Parishad;".

- 2. In rule 21, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: -
  - "(a) the last date, time and place for making nominations for election to the seat of 'Mayor, President or Councillor' which shall be the seventh day after the date of publication of the notice or if that day is public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;".
- 3. For rule 25, the following rule shall be substituted, namely:
- each candidate shall either in person or by his proposer deliver to the Returning Officer or Assistant Returning Officer so authorised by the Returning Officer for that purpose, during the time and at the place specified in the notice issued under rule 21, a duly completed nomination paper in the prescribed form and signed by the candidate and in case of election of the Mayor or President, by a voter of any ward of the municipality and in case of election of Councillor from any ward, by a voter of that ward as proposer:

Provided that any person who is subject to any disqualification as voter under the Act shall not be eligible to sign any nomination paper as proposer.

(2) Nothing in this rule shall prevent any candidate from being nominated by more than one nomination paper:

Provided that not more than two nomination papers shall be presented by or on behalf of any candidate or accepted by the Returning Officer.".

4. In rule 26, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely, -

- "(1) A candidate shall not be deemed to be duly nominated for election unless he has deposited or caused to be deposited in cash, either before or at the time of presentations of nomination paper under rule 25, with the Returning Officer, the following amount, namely:-
  - (a) for the seat of 'Councillor'-
    - (i) of Nagar Parishad, a sum of Rs. 1000/-;
    - (ii) of Municipal Council, a sum of Rs. 5000/-;
    - (iii) of Municipal Corporation, a sum of Rs. 10,000/-;
  - (b) for the seat of President of a Nagar Parishad, a sum of Rs. 10,000/-;
  - (c) for the seat of President of a Municipal Council, a sum of Rs. 15,000/-;
  - (d) for the seat of Mayor of a Municipal Corporation, a sum of Rs. 20,000/-:

Provided that where a candidate is a woman or a member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes, she/he shall be required to deposit only half of the above amount as deposit under this rule.

- (2) Where the candidature of a candidate has been proposed by more than one nomination paper, not more than one deposit shall be required of her/him under sub-rule (1).".
- 5. In rule 72, in sub-rule (6), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely,:-
  - "(a) The name of the Municipality and nomenclature of the seat to which the ballot paper relates, such as Mayor, President or Councillor;".
- 6. After chapter VIII, the following chapter shall be inserted, namely:-

# "CHAPTER-VIII-A POLLING IN RELATION TO RECALL OF THE MAYOR/PRESIDENT FROM HIS OFFICE

- 75-A.Commencement of the process in relation to recall of Mayor/President from his office.— When a reference under sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 or under sub-section (3) of Section 47 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 as the case may be is received, the State Election Commission shall forthwith initiate the election process in relation to recall the Mayor or the President as the case may be and shall complete it within six months."
- 75-B. Present Rules to remain applicable according to situation. For the purpose of Chapter VIII-A, the Rules from Chapter one to eight and Chapter nine of the Madhya Pradesh Nagar palika Nirvachan Niyam, 1994 shall be applicable with such changes as the Commission may deem proper.
- 75-C.-Notice of poll and time schedule therefore.-In accordance with the time schedule prescribed by the Election Commission, the District Election Officer shall by notice in form 25-
  - (i) specify the date and time of polling;
  - (ii) specify the place, date, and time of counting of votes.
- 75-D.-Manner of publication of Notice under Rule 75-C.- Notice under Rule 75-C shall be published at least twenty days before the date prescribed for polling by affixing one copy of the notice on the notice boards of the following:-
  - (i) District Election Officer (Municipality);
  - (ii) Returning Officer (Concerned Municipality);
  - (iii) Concerned Municipality, and the Returning Officer shall deliver a copy of the said notice to the concerned Mayor/President or to his agent.
- 75-E. Publication of the list of Polling Stations.- The Returning Officer shall in accordance with these rules, provide sufficient numbers of polling stations and along with the notice issued

under Rule 75-C shall publish a list showing the polling stations and polling areas for which they shall be set up.

- 75-F. Allotment of Symbols. Subject to the direction of State Election Commission, the Returning Officer shall prescribe symbols separately for recalling and for continuing in office of the concerned Mayor/President and shall publish the same in Form 26.
- 75-G.The manner of publication of Form 26 under Rule 75-F.Form 26 shall be published along with the publication of the notice of election under Rule 75-C and such publication shall be made by affixing the notices on the notice boards of the following offices:
  - (i) District Election Officer (Municipality);
  - (ii) Returning Officer (Concerned Municipality);
  - (iii) Concerned Municipality; and the Returning Officer shall also deliver one copy of Form 26 to the concerned Mayor/President or to his agent.
- 75-H. Declaration of the result of Poll.- The Returning Officer, as far as possible, immediately after counting of votes shall declare the result of poll in Form 27 and shall send its two duly signed copies to the District Election Officer, out of which one shall be for record and the other shall be forwarded by him to the State Election Commission.
- 75-I. Notification of the result of election in relation to recall of Mayor/President.-The result of election in relation to recall of Mayor/President shall be notified by the State Election Commission in the official Gazette.
- 75-J. Notification of Vacancy.- If, out of the total number of voters casting their votes, more than half have cast their votes in favour of recalling the concerned Mayor or the President, the office of the concerned Mayor or the President, as the case may be, shall be deemed to be vacant with effect from the date of declaration of the result and the notice of such vacancy shall be notified by the State Government in the official Gazette.".

- 7. In rule 79-A, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
  - "(1) On occurrence of a vacancy of an elected Mayor, President or Councillor of a municipality, due to any reason such as death, disqualification, resignation, absence without leave, setting aside of election etc., the Chief Executive Officer or the Commissioner of the Municipality, as the case may be, shall inform the District Election Officer about such vacancy within seven days from the date of its occurrence."
- 8. In Chapter X, for the words "Mayor/President" wherever they occur, the words, "Mayor/President/Councillor shall be substituted.
- 9. In rule 83, for the words "Mayor or President", the words, "Mayor or President or Councillor shall be substituted.
- 10. In form-2, the following form shall be substituted, namely:-

### "FORM – 2

(See rule 21)
OFFICE OF THE DISTRICT ELECTION OFFICER (MUNICIPALITY)
NOTICE OF ELECTION OF COUNCILLOR/MAYOR/PRESIDENT
NoIn exercise of the powers conferred by rule 21 of the Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994, I
District Election Officer (Municipality)do here give the following notice in relation to the Election of Mayor/President/ Councillors** of the Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Council, specified in
column (1) of the Schedule hereto:-
(a) The seat/seats for which election is to be held is/are specified in column (2) of the schedule;
(b) In the case of election of the Councillor/s the number/s of the concerned wards/s is/are specified in column (3) of the schedule;
(c) The officer specified in column (4) of the Schedule will be the Returning Officer for conducting the election;
(d) The place, date and time specified in column (5) of the schedule will be the place, last date and time for making nominations;
e) The place, date and time specified in column (6) of the schedule will be the place, last date and time for the scrutiny of nominations;
f) The place, date and time specified in column (7) of the schedule will be the place, last date and time for withdrawal of candidature;
g) The place, date and time specified in column (5) of the schedule will be the place, last date and time during which the poll shall be taken;
h) The place, date and time specified in column (5) of the schedule will be the place, last date and time for the counting of votes"."

District Election Officer (Municipality)

11. In form-2-A, the	following form shall be	substituted namely:
	"FORM – 2-	
	(See rule 22-	<b>A</b> )
OFFICE OF THE DISTR	ICT ELECTION OFFICER	(MUNICIPALITY)
	NOTICE	
Subject – 1	Notice regarding Status	of Reservation of seats
Niyam, 1994, it is her reservation of the seat	reby notified for gener /seats of Mayor/Preside Council/ Nagar Coun	ya Pradesh Nagarpalika Nirvachar ral information that the status of the **Municipal cilfor
	TABLE	
Particulars of the seat for which election is to be held (e.g. Mayor/President/ Councillor)	The number of wards (in the case of election of Councillor only)	Status of reservation (e.g. SC/SC-Woman/ST/ST-Woman/OBC/OBC-Woman/Gen./Gen-Woman
(1)	(2)	(3)
	(sd/-).	•••••
Place	Distri	ct Election Officer (Municipality)

Seal

District.....

Name....

# **SCHEDULE**

Name of Municipality	Particulars of the seat/seats for which election will	The number of ward (in the case of election of	Name and designation of the Returning officer	Place, date and time for making nominations
	be held e.g. Mayor/	Councillor only)		
	President/ Councillor			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Place, date and time for scrutiny of nominations	Place, date and hour for withdrawal of candidature	Date and time during which poll shall be taken	Place, date and time for counting of votes
(6)	(7)	(8)	(9)

Place	•••••	District Election Officer (Municipality)				
Date	•••••	District				
·						
		Name				
		Seal"				

# 12. In form 3, the following form shall be substituted, namely:-



M.P. State Election Commission

# MUNICIPAL ELECTION "FORM - 3

[See Rule - 24(2)]
Nomination Paper

٠		Detai	ils of the I	ost of Electio	n		
Dis	strict		****				Place to affix
*N	ame of the Municipal Corporation/unicipality/Municipal Council						recent Stamp s
	ame of Post, for which candidate is minated for election	М	ayor	Presiden	t	Councillor	(2cm X 2.5cm photograph w clear frontal fa
	rd No. in case of Nomination for post of councillor						image.
		Det	ails of the	Candidate			<b>.</b>
1.	Candidate's full Name				·		
2.	*Sex			Male		Female	Other
3.	Father's/Husband's name of candi	date			······································		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4.	Full postal address of candidate		<del> </del>				
	<u> </u>	ils of Ca	ndidate's	name entered	in voter li	ict	·
Λ	ard No. of Municipal Corporation/ Municipality/Municipal Council where candidate name is entered		-	e voter list who name is entere			's serial No. in the voter list.
	Company of the Compan	Det	ails of the	Proposer			
5.	Full Name of Proposer				***	·····	
7.	*Sex			Male		Female	Other
3.	Father/Husband's name of Propose	r	1				
2.	Full postal address of Proposer						
0.	Mobile No. of the Proposer						
		ils of Pro	oposer's n	ame entered i	n voter lis	it	
M	rd No. of Municipal Corporation/ funicipality/Municipal Council there proposer name is entered			voter list when			serial No. in the oter list.
			-				

Name .....

#### Consent by the Candidate for Nomination

I, the above mentioned candidate, assent to this nomination and my details are ...

12.	Date of Birth	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
13.	Age, as on date of scrutiny (in Years)		-1			·		·	
14.	Caste/Category (Unreserved/SC/ST/OBC)		****						
15.	Caste Name (In case a member of reserved category)			,					
16.	Name of notified district for caste								
17.	**Name of political party by which the Candidate is set up		÷	*****	•				
		1.			 				
18.	Choice of symbols in preference order	2.							
		3.							•
19.	Name to be printed on Ballot Paper (in Hindi)			-					
20.	English spelling of Candidate's name to be printed on Ballot Paper								
21.	Mobile No. of Candidate	T							

The above said information is true to the best of my knowledge and belief, I am qualified and not also disqualified for being chosen to the seat of Mayor/President/Councilor in the above mentioned Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council.

Date		Signature/Thumb impression of Candidate
;		Name

#### Enclosed documents with nomination paper

S.No.	Details of Documents	Enclosed (Yes/No)
1.	Affidavit with two extra signed copies regarding declaration of information relating to Criminal antecedent assets, liabilities and educational qualification as per rule 24(A) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.	
2.	Form-8 In case the candidate is being set up by a political party, Under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.	
3.	Form-9 In case the candidate is being set up by a political party, Under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.	
4.	Copy of Caste certificate issued by competent officer of Government of Madhya Pradesh in case of a member of reserved category.	
5.	Receipt of Security Deposit.	
6.	*Under section-17 of MP Municipal Corporation Act 1956/ section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 No Dues Certificate from Electricity Company regarding no outstanding due.	
7.	*Under section-17 of MP Municipal Corporation Act 1956/ section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961  No Dues Certificate from Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council regarding no outstanding due.	
8.	An extra Stamp size colour photograph of the candidate for printing on Ballot Paper.	
9.	Other -	
10.	Other -	

<sup>\*</sup>Strike out the word not applicable.

·				Signature/Thumb impression of Candidate
Date			and the second second	Name.

<sup>\*\*</sup> If not being set up by any political party, write "Independent" in the adjacent column.

#### (To be filled by the Returning Officer)

1.	Serial Number of Nomination Paper		
2.	Date of presentation of Nomination Paper before Returning Officer		
3.	Time of presentation of Nomination Paper before Returning Officer		
4.	*Person, who has presented the Nomination Paper before Returning Officer	Candidate	Proposer

#### Details of documents enclosed with the Nomination Paper, for which receipt is provided to the candidate

(in column number 3 & 4, fill in same details as it is written in the receipt, handed over to the candidate)

S. No	Details of document	Enclosed (Yes/No)	the perticular docume	If not enclosed, then time limit for submission of the perticular document to the Returning Officer		
<u> </u>			Date & Time	Occasion		
1	2	3	4	5		
1.	Affidavit with two extra signed copies regarding declaration of information relating to Criminal antecedent assets, liabilities and educational qualification as per rule 24(A) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.		Affidavit is mandatory to be submitted only time of presenting Nomination Paper to the Returning Officer.			
2.	Form-8 In case the candidate is being set up by a political party, Under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.		
3.	Form-9 In case the candidate is being set up by a political party, Under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.	-		Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.		
4.	Copy of Caste certificate issued by competent officer of Government of Madhya Pradesh in case of a member of reserved category.			Before scheduled date and time of scrutiny.		
5.	Receipt of Security Deposit.		Receipt of Security Deposit is mandatory to be submitted only at the time of presentation of Nomination Paper to the Returning Officer.			
6.	*Under section-17 of MP Municipal Corporation Act 1956/ section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 No Dues Certificate from Electricity Company regarding no outstanding due.			Before scheduled date and time of scrutiny.		
7.	*Under section-17 of MP Municipal Corporation Act 1956/ section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 No Dues Certificate from Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council regarding no outstanding due.			Before scheduled date and time of scrutiny.		
8.	An extra Stamp size colour photograph of the candidate for printing on Ballot Paper.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.		
9.	Other -					
10.	Other -					
+C411	a out the word not and inchie					

\*Strike out the word not applicable.

Signature of Returning	Officer	(Municipality)
Name		

Date

# Decision of Returning Officer Accepting or Rejecting the Nomination paper

Dicction Rules	, 1994 and c	lecide as fo	ollows :	- (**)						
***************************************	************		**********	********	•	***********	•••••	•••	•••••••	
						•••••	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		••••••••	
	*************	***************		*********		***********				
			**********	***********	***********					
**************	***************************************	************		***********	*************	·····	*************	*******	***************************************	
			**********			***********	*********	************	*************	*********
	······	****************	***********	**********		**********				
				4.5						
<i>-</i>		*************				•••••				
				************					******************	*********
	**************	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	······				*************		•••••	*******
	******************	······································	**********	*********		********	**********	*******		,
									•	
*****************	**************		********			••••	************	•••••••	************	
		•								
**********				•••••		••••••			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
•										
										**********
	*************				*************		*************	••••••	****************	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
************	*************	*************	••••••	**;*******					*************	*********
	**************	****					***********		*************	
	····			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		••••••	**********			
										,
				•			************			
·						Signat	ure of Re	eturning C	fficer (Mu	nicipali
							Name			

# Receipt of Nomination Paper and Notice of scrutiny to be handed over to the Candidate

1.	Serial Number of Nomination Paper				
2.	Date of Presentation of Nomination before Returning Officer		<del></del>		
3.	Time of Presentation of Nomination before Returning Officer				
4.	*Person, who has presented the Nomination before Returning Officer	Candidate Proposer			
5.	Name of Candidate				
6.	*Name of Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council				
7.	Name of post for which the Nomination paper is presented for election (write ward number in case of the Councillor)		·		
8.	Date of scrutiny of Nomination Paper				
9.	Time of scrutiny of Nomination Paper				
10.	Place of scrutiny of Nomination Paper	. P			

#### Details of documents enclosed with the Nomination paper

s.	Details of document	Enclosed	If not enclosed, then time limit to present the above document to the Returning Officer Date & Time Occasion			
No.	Details of document	(Yes/No)				
1	2	3	Date & Time	Occasion 5		
1.	Affidavit with two extra signed copies regarding declaration of information relating to Criminal antecedent assets, liabilities and educational qualification as per rule 24(A) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.			e submitted only at the time of		
2.	Form-8 In case the candidate is being set up by a political party, Under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.		
3.	Form-9 In case the candidate is being set up by a political party, Under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.		
4.	Copy of Caste certificate issued by competent officer of Government of Madhya Pradesh in case of a member of reserved category.	e e		Before scheduled date and time of scrutiny.		
5.	Receipt of Security Deposit.		Receipt of Security Deposit is mandatory to be submitted only at the time of presenting the Nomination paper to the Returning Officer.			
6.	*Under section-17 of MP Municipal Corporation Act 1956/ section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 No Dues Certificate from Electricity Company regarding no outstanding due.			Before scheduled date and time of scrutiny.		
7.	*Under section-17 of MP Municipal Corporation Act 1956/ section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 No Dues Certificate from Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council regarding no outstanding due.			Before scheduled date and time of scrutiny.		
8.	An extra Stamp size colour photograph of the candidate for printing on Ballot Paper.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.		
9.	Other -					
10.	Other -					

\*Strike out the word not applicable.

Date	Signature of Returning Officer (Municipality)
Date	Name

13.	In form 4	, the following	ng form shall	l be substituted	, namely:
. 13.	in form 4	, the following	ng form shall	i be substituted	, namel

### " FORM-4

(See rule 27)

	NOTIO	CE OF NOMINA	TION	
		form ward no Nagar Council	•	-
•		Municipal Corpo	oration/Presider	nt or Municipal
		nat the following d up to 03:00 p.m.		n respect of the
No. of the Nomination paper	Name of the candidate	Name of Father/*husband	Age of the candidate	address
(1)	(2)	(3)	<b>(</b> 4)	(5)
Party affiliation	Particulars of castes or tribes for candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes or other	No. of the Candidate in the voters' List (Part No	Name of Proposer	S. No. of the proposer in Voters list (Part No
(-)	Backward Classes		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Place	••••••	Returning Name Seal	g Officer (Mun	icipality)

<sup>\*</sup>Strike off the inappropriate alternative.

14.	In form 5,	, the follov	ving form	shall be	substituted,	namely	7:-
-----	------------	--------------	-----------	----------	--------------	--------	-----

# "FORM - 5

[See rule 28(8)]

#### LIST OF VALIDLY NOMINATED CANDIDATES

	of Councillo		nrd no	.of *Municipal
	Mayor of Munic	_	tion/President or Mu	nicipal Council/
S. No.	Name of the candidate	Name of Father/*hus		Party affiliation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Place	•••••		eturning Officer (Muni	

<sup>\*</sup>Strike off the inappropriate alternative.

15. In form 6, the following form shall be substituted, namely:-

# "FORM - 6

[See rule 29(1)]

#### APPLICATION FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

Election of Councillor form Corporation/ Municipal Council/ Nagar	ward noof *Municipal Council
*Election of Mayor of Municipal Cor Nagar Council	poration/President or Municipal Council/
To,	
The Returning Officer (Municipal	ity)
***************************************	
I,	a candidate validly nominated
at the above election do hereby give notion	ce that I withdraw my Candidature.
02. The *receipt/receipts given in	acknowledgement of the nomination
*Paper/papers submitted to you on	(date) on my behalf
*is/are enclosed herewith in original.	
	***************************************
Place	Signature of validly nominated candidate
Date	
*Strike off the inappropriate alternative.	
This notice was delivered to me	e at my office at(hour)
on(dated) by	(name)
Dated	
	Returning Officer (Municipality)
	Name
	Seal

#### Receipt for notice of withdrawal

(To be handed over to the person delivering the notice)

The notice of with	irawal of can	didate by	• • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	a
validly nominated candida	te at the Elec	ction of *M	ayor/Preside	nt/Counc	illor from
ward No of	*Municipal	Corporation	n/Municipal	l Counc	il/ Nagar
Council	•••••••	was	delivered	to me	by (**)
••••••	at	my office	at	•••••	(hour)
on	.(date). "	s Santa and a			
Dated					
				•	
		·····			••••
			ng Officer (I	•	• •
	and the second second	Name	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

<sup>\*</sup>Strike off the inappropriate alternative.

<sup>\*\*</sup>Here insert one of the following alternatives as may be appropriate: - (1) Candidate (2) Candidate's Proposer (3) Candidate's Election agent.

16. In form 7, the following form shall be substituted, namely:-

#### "FORM -7

### [See rule 29(4)]

#### NOTICE OF WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

Election of Counc Corporation/ Municipal Cou			of *Municipal
*Election of Mayor of Mayor Council		<del>-</del>	or Municipal Council/
Notice is hereby *Candidate/Candidates at candidature today.	y given the above		•
Name of validly nominated candidate		f validly nominated candidate	Remark
(1)		(2)	(3)
1.	·		
2.			
3.			
<u> </u>			
Dated	•••		
		Returning Offic	er (Municipality)
		Name	•••••
		Seal	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

<sup>\*</sup>Strike off the inappropriate alternative.

# 17. In form 8, the following form shall be substituted, namely:-

# "FORM – 8 [See rule 31(2) (ii)]

NOTICE AS TO NAMES OF CAR	NDIDATES SET UP	BY THE POL	ITICAL PARTY
To,			

	The Returning Officer (Municipality)  Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Council  District
Subjec	t:- Election of Mayor/President/Councillor* to Municipal Corporation/ Municipal il/ Nagar Council
1994	In pursuance of Rule 31 of the Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam, I hereby give notice that the following persons have been set up by(party) as its candidates at the ensuring Municipal n cited above.

Particulars	The no.	of Ward	Name of	Father's/	Postal
of the seat e.	(in the case of election for		the	Husband's	address of
g. Mayor/	councill	or only)	approved	name of the	the approved
President/	In figure	In word	candidate	approved	candidate
Councillor				candidate	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	:				

Name of the substitute candidate (who will step in, in the event of the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or his withdrawing from the contest)	Father's / Husband's Name of the substitute candidate	Postal address of the Substitute candidate
(7)	(8)	(9)
		,

		Yours faithfully,		
Place		Name and signature of the authorized office		
	(Seal of the Party)	bearer of the District unit of the Party.		
Copy to: -				
The Collector and	District Election Officer (M	1unicipality)		
District	for inform	ation		
Place		Name and signature of the authorized		
Date	(Seal of the Party)	person of the party		
*Strike out the inappropr	iate alternative.			

18. In form 9, the following form shall be substituted, namely:-

# "FORM – 9

	[See rule 31(	2) (iv)]	
			Y THE POLITICAL PARTY
		PARTY,	MADHYA PRADESH
To, The Peturning Office	r (Municipality)		
The Returning Office Municipal Corporatio	, ,	1/Nogor Co	unail
District	•	_	uncn
			icipal Corporation/ Municipa
			Authorization o
office bearer for intimating t	the names of Party C	Candidates.	•
Sir,	*		
In pursuance of Rule	31 of the Madhya	Pradesh N	agarpalika Nirvachan Niyam
	•		s/have been authorized by the
party, which is a National pa			
the names of the candidates			
above:-	<b>r</b> 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Name of office bearer	Name of office he	eld in the	District(s) in respect of
authorized	District unit of t		which he has been
			authorized
(1)	(2)		(3)
		٠.	
2. The specimen signature of the	above mentioned offi	ce bearer of	the District Unit of the Party so
authorized are given below: -			
Name	•		Specimen Signature
i. Shri	*****	1.1.	
ii. Shri iii. Shri	*******		
III. SINI	*******	(111)	***************************************
			Yours faithfully,
lace		President	Secretary Name of the Party
Date(Se	eal of the Party)		
		•	
Strike out the inappropriate alte	rnative		

19. In form 10, the following form shall be substituted, namely:-

"FORM -- 10

[See rule 32]

## LIST OF CONTESTING CANDIDATES

<i>*</i>						
	Election of	Councillor form	n ward no	of	*Municipal	
Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council						
	· ·	of Municipal Co	-	ident or Munic	ipal Council/	
S. No	Name of Candidate	Address of Candidates	Party Affiliation	Candidate Photo	Symbol Allotted	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.						
2.						
3.					, · · · ·	
			••••	******	•••••	
Place	••••••••	****	Returning (	Officer (Municij	pality)	
Date	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	Name	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	
Т:			C1			

<sup>\*</sup>Strike off the inappropriate alternative.

20. In form 11, the following form shall be substituted, namely:-

## "FORM - 11

[See rule 33(1)]

## APPOINTMENT OF ELECTION AGENT

	n ward noof *Municipa r Council
*Election of Mayor of Municipal Congar Council	orporation/President or Municipal Council
To,	
The Returning Officer (Municipal	ality)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
I,	resident of
	reby appoint
	as my election agent from this day at
the above election.	
Place	•••••
Date	signature of candidate
	(Name)
I accept the a	bove appointment
Place	***************************************
Date	signature of Election agent
	(Name)
Ap	proved
	********
Place	Signature of the Returning
# 25 miles   1 m	
	Officer (Municipality)
Date	Name
Time	Seal
*Strike off the inappropriate alternative.	

21. In form 12, the following form shall be substituted, namely:-

## "FORM - 12

[See rule 34(1)]

## APPOINTMENT OF POLLING AGENT

Election of Councillor form wa	ard noof *Municipal Corporation
Municipal Council/ Nagar Council	
*Election of Mayor of Municipal Con	rporation/President or Municipal Council/ Naga
Council	
I,	*a candidate/the election agen
of W	ho is a candidate at the above election, do hereby
appoint (Name)	
address	as polling agen
to attend polling station no at .	(place fixed for the poll).
Place	······································
Date	Signature of*candidate/election agent
	(Name)
I agree to act	as such polling agent
Place	
Date	Signature of polling agent
	(Name)
DECLARATION OF POLLING AGENT TO	BE SIGNED BEFORE PRESIDING OFFICER
	election I will not do anything forbidden by law
and rules pertaining to elections in genera	
and rules pertaining to elections in general	if and secrecy of voting in particular.
	Signature of polling agent
Signa	(Name) d before me
Date	u belote me
	Presiding Officer
*Strike off the inappropriate alternative	(Name)
TELLA OTT THE INGRAPORPISTS SITEPROTITIES	

22. In form 13, the following form shall be substituted, namely:-

# "FORM – 13 [See rule 34(1)] APPOINTMENT OF COUNTING AGENT

Election of Councillor form	m ward noof *Municipal Corporation
Municipal Council/ Nagar Council	••••••
*Election of Mayor of Municipal	l Corporation/President or Municipal Council/ Nagar
Council	
To,	
The returning officer (munic	
I	*a candidate/the election agent
	Who is a candidate at the above election, do hereby
annoint (Name)	address
	inting agent to attend the counting of votes at
(place fixed for the	he counting).
Place	***************************************
Date	Signature of*candidate/election agent
	(Name)
I agree to	act as such counting agent
I agree to	act as such counting agent
Place	
Date	Signature of counting agent
	(Name)
DECLARATION OF COUNTING AGE	NT TO BE SIGNED BEFORE RETURNING OFFICER
	unting of votes of the above election, I will not do ertaining to elections is general and secrecy of voting
	Cionatura of counting accept
	Signature of counting agent (Name)
s	signed before me
Date	
	Signature of Returning Officer (Municipality)
	(Name) Seal
*Strike off the inappropriate alternative.	

In form 14, the following form shall be substituted, namely:-23.

"FORM - 14

[See rule 39]

## DECLARATION OF RESULT OF UNCONTESTED ELECTION

Election of Councillor form ward no	of *Municipal Corporation
Municipal Council/ Nagar Council	
*Election of Mayor of Municipal Corporation	/President or Municipal Council/ Naga
Council	
In pursuance of sub-rule(1) of rule 39	9 of the Madhya Pradesh Nagarpalika
Nirvachan Niyam, 1994, I declare that	(Name)
***************************************	(Address)
**Sponsored by	•••••••
(Name of the recognized	l Political Party)
Has been duly elected as Mayor/President/Counc	illor in the above mentioned election.
Place	Signature
Date	Returning officer (municipality)
	(Seal)
*Strike off the inappropriate alternative.	

<sup>\*\*</sup>Strike off if not required.

24. In form 15, the following form shall be substituted, namely:-

## "FORM - 15

[See rule 49(2) (c)]

#### LIST OF CHALLENGED VOTES

		·	of Chal	LENGED VU	ILS		
Election	on of Co	ouncillor	form ward no.	0	f *Mun	icipal C	orporation/
Municipal Co	uncil/ 1	Vagar Co	ouncil	••••••••	•••••••		
*Election of M	ayor of	Municipa	al Corporation/P	resident or Muni	cipal Co	ouncil/ Na	agar
Council	•••••	•••••	••••				
S. No. of entry	Name voter	of the	Particular of e	entry in	Signa	ture or	Address of the person
	*		Part number of Voter's list	Voter's serial number	impre	ssion person	challenged
(1)	(	2)	(3)	(4)	. (	5)	(6)
140		-					
Name of iden if any	tifier	Name	of Challenger	Order of Pres Officer	iding	cha receiv	gnature of llenger on ing refund of deposit
(7)			(8)	(9)			(10)
Date							
	••••					Presiding	g Officer
*Strike off the in	annronr	iate alter	native	(Name	* * * * * * * *	••••••	)

25. In form 16, the following form shall be substituted, namely:-

## "FORM - 16

[See rule 52(1)]

## DECLARATION BY THE COMPANION OF BLIND OR INFIRM VOTER

Election of Councillor form ward no	of *Municipal Corporation/
Municipal Council/ Nagar Council	***********
*Election of Mayor of Municipal Corporation/President or Mu	nicipal Council/ Nagar
Council	
I,son of	•••••••••••••
agedresident of	••••••
address	••••••
hereby declare that -	
(a) I have not acted as Companion of any other	voter at any Polling Station
today;	,
(b) I will keep Secret the Vote recorded by me on b	ehalf of
Name	serial No. and Part
No. of Voters' List	
Place	
Date	Signature of Companion
	(Name)
Countersigned	
Presiding Officer	
Polling Station No	
Strike off the inappropriate alternative	

26. In form 17, the following form shall be substituted, namely:-

## "FORM -17

[See rule 54(2)]

## LIST OF TENDERED VOTES

	Election of Council ation/Council/Nagar C			••••••	of *Munic	ipal
	on of Mayor of Mun		resident	or Munic	cipal Council/ Na	ıgar
Numbe	r of Polling Station	***************************************	••••••	•••••		
S. No.	Name of Voter	Particulars of entr	-	voters'	Address of voters	
		Part No. of Voters' List	1	lo. of oter		
(1)	(2)	(3)	(4	4)	(5)	
	number of tendered ballot paper	Serial number of be paper issued to the paper who has already very	person	impi	nature or thumb ression of person endering vote	
	(8)	(9)			(10)	
Date	•••••	•		*******		• • •
			Signat	ture of Pr	esiding Officer	
.a. 11 - 4	70 d	en de la companya de La companya de la co	(Name	• • • • • • • • •		)

<sup>\*</sup>Strike off the inappropriate alternative.

27. In form 17-A, the following form shall be substituted, namely:-

## "FORM - 17-A

[See sub rule (1)(a) of rule 63K]

## **VOTER REGISTER**

## (where the polling shall be done by Electronic Voting Machine)

	Election of Mayor/President and Councillor form ward no
*Muni	icipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Council

S. No.	Number of voter in the voters' list	The details of documents produced by the voter as a proof of his identity	Signature/ thumb impression of a voter	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Date		••••••••••••••••
	4	
		Signature of Presiding Officer

<sup>\*</sup>Strike off the inappropriate alternative.

28. In form 18, the following form shall be substituted, namely:-

## "FORM - 18

[See rule 57]

## **BALLOT PAPER ACCOUNT**

From To  1. Ballot papers received by the presiding officer  2. Ballot papers used at the polling Station (1-2=3)  4. Ballot papers used at the polling station but no INSERTED IN TO THE BALLOT BOX  a. Ballot paper cancelled due to printing mistake  b. Ballot papers used as tendered ballot papers.  c. Ballot papers cancelled (a+b+c) Total			Serial	No.	Total No.
<ul> <li>3. Ballot Paper used at the polling Station (1-2=3)</li> <li>4. Ballot papers used at the polling station but no INSERTED IN TO THE BALLOT BOX <ul> <li>a. Ballot paper cancelled due to printing mistake</li> <li>b. Ballot papers used as tendered ballot papers.</li> <li>c. Ballot papers cancelled (a+b+c) Total</li> </ul> </li> <li>5. Ballot papers to be found in the ballot box (3-4=5) (*Serial numbers need not be</li> </ul>	presiding officer	From	- F	To	
Station (1-2=3)  4. Ballot papers used at the polling station but no INSERTED IN TO THE BALLOT BOX  a. Ballot paper cancelled due to printing mistake  b. Ballot papers used as tendered ballot papers.  c. Ballot papers cancelled (a+b+c)  Total  5. Ballot papers to be found in the ballot box (3-4=5) (*Serial numbers need not be	2. Sanot papers unased				
<ul> <li>4. Ballot papers used at the polling station but no INSERTED IN TO THE BALLOT BOX</li> <li>a. Ballot paper cancelled due to printing mistake</li> <li>b. Ballot papers used as tendered ballot papers.</li> <li>c. Ballot papers cancelled (a+b+c) Total</li> <li>5. Ballot papers to be found in the ballot box (3-4=5) (*Serial numbers need not be</li> </ul>					
<ul> <li>a. Ballot paper cancelled due to printing mistake</li> <li>b. Ballot papers used as tendered ballot papers.</li> <li>c. Ballot papers cancelled (a+b+c)  Total</li> <li>5. Ballot papers to be found in the ballot box (3-4=5) (*Serial numbers need not be</li> </ul>	4. Ballot papers used at the polling station but no INSERTED IN TO				
ballot papers.  c. Ballot papers cancelled         (a+b+c)         Total  5. Ballot papers to be found in the ballot box (3-4=5)         (*Serial numbers need not be	a. Ballot paper cancelled due to printing mistake				
(a+b+c) Total  5. Ballot papers to be found in the ballot box (3-4=5) (*Serial numbers need not be	ballot papers.				
ballot box (3-4=5) (*Serial numbers need not be	(a+b+c)				
	5. Ballot papers to be found in the ballot box (3-4=5)		. <del>.</del>		
	•				

<sup>\*</sup>Strike off the inappropriate alternative.

## **Part-II RESULT OF INITIAL COUNTING**

1. Total number of ballot papers	s found in the ballot box(es) used at the polling
station	
2. Discrepancy, if any, between	n the total number as shown against item 1 in this
part and the total number of	ballot papers to be found in the ballot box(es) as
shown in item 5 to Part I.	
Date	
	Signature of counting Supervisor
	(Name)
	***************************************
	Signature of Returning Officer (Municipality)
	(Name)

29. In form 18-A, the following form shall be substituted, namely:-

## "FORM – 18-A [See rule 63Q]

## Part-1 Account of recorded votes

The election of Mayor/President	and election of Councillor form ward
noof *Municipal	
Council	
The number and name of Polling Centr	reControl Unit No
the Identity Noof polling machine u	sed, Polling Unit No.1
2 Printer No. (if used)	
Module	
1. Total Number of Electoral fixed in the pol	ling Centre
2. Total Number of Voters recorded in the vo	eters' Register
3. The Number of voters recorded in voting M	Machine
4. The Number of voters who are not permitted	ed to vote under
the provision of rule 63L	
5. The number of voters who have decided no	ot to poll (2-3-4=5)
6. The number of tendered ballets	
	Serial Number
	FromTo
(a) Received for use	••••••
(b) Issued to the Electoral	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
(c) Not used and taken back	••••••
7. Account of seals of paper	Signature of Election Agent
1. The seals of paper Total Number	1
Granted for use	
S. No. FromTo.	en e
2. Used seals of paper Total Number	2
S. No. FromTo.	
3. The unused seals of paper returned to the	3
Returning Officer total Number	4
S. No. From to	
4. The Seals of Paper total Number	5
Destroyed if any S. No. from, to	
	6
Place	
Date	Signature of Presiding Officer
	Polling Contro No

## Part-2

## RESULT OF PRELIMINARY CALCULATION

1.	1. Total Number of votes found in Ele	ctronic Voting
	Machine used at the Polling Centre.	
2.	2. Any difference found in total number	er of votes shown
	In Head-1 of this part with Head-3	of part-1
	If any	
	Date Sign	nature of the Calculating Supervisor
	Place Nan	ne
	Sign	nature of the Returning Officer
	(mu	nicipality)
	Nan	ne

30. In form 19, the following form shall be substituted, namely:-

## **"FORM—19**

[See rule 63(2)]

## APPLICATION FOR ELECTION DUTY BALLOT PAPER

	tion of Mayor of Municipal Corporation/Prescil	sident o	r Munici	pal Cound	cil/ Nag	gar	
To,							
	The Returning Officer (Municipality)	)					
	District	•					
Sir,							
	I intend to cast my vote at the above r I have been posted on Election duty a	at Polli	ing Stat	ion No			
no 2. voter's Corpo	I have been posted on Election duty aof *Municipal Corporation/C  My name is entered at Serial Noof selist of ward Noof oration/Council/Nagar Council.  I request that an Election duty Ballot	at Polli Council	ng Stat /Nagar o above	ion No Council f Part N mentic	oo	*Mu	of
no 2. voter's Corpo	I have been posted on Election duty aof *Municipal Corporation/C  My name is entered at Serial No	at Polli Council	ng Stat /Nagar o above	ion No Council f Part N mentic	oo	*Mu	of
no  2.  /oter's Corpo 3.  o vote	I have been posted on Election duty a	at Polli Council	ng Stat /Nagar o above	ion No Council f Part N mention sent to	oo	*Mu	of nicipal ole me
no 2. voter's Corpo 3. o vote	I have been posted on Election duty a	at Polli Council	ng Stat /Nagar o above	ion No Council f Part N mention sent to	ooned  me to	*Mun	of nicipal ole me

31. In form 19-A, the following form shall be substituted, namely:-

## "FORM—19-A

[See rule 63(4)(a)]

## **ENVELOPE-A**

NOT	TO BE OPENED BEFORM CO	UNTING
*Election of Mayor/Pres	sident/Councillor for ward No	
of Municipal Corpo	oration/council/Nagar Council	•••••
	Election Duty Ballot Paper	
Serial number	r of Ballot Paper	**********

32. In form 19-B, the following form shall be substituted, namely:-

## **"FORM—19-B**

[See rule 63(4)(b)]

#### **ENVELOPE-B**

B NO	OT TO BE OPENED BEFORM COUNTING
	ELECTION-IMMEDIATE
*Election of Mayor	/President/councillor for ward No
of Municipal C	orporation/council/Nagar Council
	Election Duty Ballot Paper
To,	
	The Returning Officer (Municipality)
	Distt
Signature of Sender	

33. In form 19-C, the following form shall be substituted, namely:
"FORM—19-C

[See rule 63(4)(C)]

## **DECLARATION BY VOTER ON ELECTION DUTY**

Election of *Mayor/President/Councillo *Municipal Corporation/Council/Nagar Counc	
I hereby declare that I am the voter to w bearing serial Nohas been issued a	
Date	
ATTESTATION O	SIGNATURE OF THE VOTER (Name) Address
•	sence by(voter) who is  identified to my satisfaction lly known to me.
Signature of Identifier. if any	Signature of Attesting Officer
(Name)	(Name)
	Designation
Address	Address
	Date

<sup>\*</sup>Strike off the inappropriate alternative.

34. In form 19-D, the following form shall be substituted, namely:-

#### **"FORM—19-D**

[See rule 63(4)(d)]

## INSTRUCTIONS FOR GUIDANCE OF VOTERS ON ELECTION DUTY

The persons whose names are printed on the ballot paper sent here-with are candidates at the above election. Record your vote by placing clearly a mark opposite the name of the candidate to whom you wish to give your vote in the space provided for the purpose. The mark may be made in the form ' \( \sigma ' \

- 2. Do not put your signature or write any word or make any sign of writing what so over on the ballot paper other than the mark required to record your vote.
- 3. After you have recorded your vote on the ballot paper the ballot paper in the smaller envelope marked 'A' sent herewith. Close the envelope and secure it by seal or otherwise.
- 4. You may then sign the declaration in Form 19C also sent herewith in the presence of and have signature attested by any one of the officers specified below:-
- (a)head of office where you are working. if you are a government servant of an employee of a Municipality or a government undertaking;
- (b)any gazette officer known to you or the Presiding Officer of the polling station at which you are on election duty.
  - (c)any Revenue Officer not below the rank of a Naib Tahsildar.

you may take the declaration to any of the above mentioned specified officers and sign it in his presence after he has satisfied himself about your identity. the Officer will attest your signature and return the declaration to you. You must not show your ballot paper to the attesting officer nor tell him how have voted.

- 5. After your declaration has been signed and your signature has been attested, place the declaration in Form 19 C, as also the smaller cover marked 'A' (containing the ballot paper) in the larger envelope marked 'B' After closing the larger envelope. send it to the Returning Office (Municipality) by post or by messenger or deliver it to him personally. Please fill in all the entries on the larger envelope 'B' before sending it or handing it over to the Returning Officer (Municipality),
- 7. Please note that-
  - (i)If you fail to get your Declaration attested or certified in the manner indicated above. your Ballot-Paper will be rejected;
- (ii)If the cover reaches the Returning Officer (Municipality) after the hour and date specified before. your vote will not be counted.

35.	In form 20	, the following	form shall	be substituted,	namely :-
		,	TOTTE DESCRIE	oo babbiiiiaiba.	TIGHTIOT A *-

## "FORM-20

## [See rule 66 (10)]

Counc			or of M	unicipal Corpo	oration/President	dent or	Municipal	Council	' Nagar
S.No. (1)		•	Name	of candidate (2)		Valid ve	otes cast in fa		e candidate
2-				es					,
				E.D. votes					
	(c) 101	ai No. (	oi valia E.I	D. votes received	I	••••••	••••••	••	
•.									

<sup>\*</sup> Strike off the in appropriate alternative.

In form 21, the following form shall be substituted, namely:-36.

## "FORM-21

## [See rule 69 (2)]

~		poration/President or Municipal Council/ Nagar
	*************	
S.No. (1)	Name of candidate (2)	No. of Valid votes cast in favour of the candida (3)
(b) Total No. of	f invalid votes	
(b) Total No. of	f invalid votes	
(b) Total No. of	f invalid votes	
(b) Total No. of	f invalid votes	Signature of counting Supervisor
(b) Total No. of	f invalid votes	
(b) Total No. of	f invalid votes	Signature of counting Supervisor
(b) Total No. of	f invalid votes	Signature of counting Supervisor (Name)
(b) Total No. of	f invalid votes	Signature of counting Supervisor (Name)
(b) Total No. of	f invalid votes	Signature of counting Supervisor (Name)
(b) Total No. of	f invalid votes	Signature of counting Supervisor (Name)

37. In form 21-A, the following form shall be substituted, namely:-

#### "FORM-21-A

#### [See rule 69B]

#### RESULT OF CALCULATION

	Pol	ling Centre No	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••
S.No. Nam	ne of candidate	The	number of votes received a The Election Control Uni	s per
1.				<del></del>
I.				
2.				
3.				•
l.				
•				
	<del></del>			
(a) Under/Number of no				
(a) Under/Number of no	nished votes			
(a) Under/Number of no	nished votes		f Calculating Supervisor	
(a) Under/Number of no	nished votes	Signature c	f Calculating Supervisor ll signature of Candidate/	
(a) Under/Number of no	nished votes	Signature of The name and fu		
(a) Under/Number of no	nished votes	Signature of The name and fu	Il signature of Candidate/ on Agent/Calculating Agent	
(a) Under/Number of no	nished votes	Signature of The name and fur Election Signat	Il signature of Candidate/ on Agent/Calculating Agent ure of Returning Officer	
(a) Under/Number of no (b) The number of unfir (c) None of the above (I	nished votes	Signature of The name and fur Election Signat	Il signature of Candidate/ on Agent/Calculating Agent	
(a) Under/Number of no	nished votes	Signature of The name and fur Election Signat	Il signature of Candidate/ on Agent/Calculating Agent ure of Returning Officer	

38.	In form 22,	the following	form shall	be substituted,	namely :-
-----	-------------	---------------	------------	-----------------	-----------

#### "FORM-22

## [See rule 69(3)]

## FINAL RESULT SHEET

Election Corporation				from	Ward	No	· · · · ·	••••••	of *N	<i>I</i> unicipal
*Election Council	of	Mayor	of	Municipal	Corpor	ation/President	or	Municipal	Council	' Nagar

#### FINAL RESULT SHEET

S. No.	Name of candidate	No. of valid E.D. votes cast in favour of the	No. of valid Votes cast in favour of the candidate Polling Station wise  (4)					vise	Grand Total					
(1)	(2)	candidate (3)	P.N.	P.N.	P.N.	P.N.	P.N.	P.N.	P.N.	P.N.	P.N.	P.N.	Total	(5)
			-						·					
			·											

2.	(i)	Total No. of valid Votes	•••••••••••••••••••••••••••••
	(ii)	Total No. of invalid Votes	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	(iii)	Total No. of valid Votes cast	Signature of Counting Supervisor
	(iv)		)
	<b>(</b> v)		Signature of Returning Officer (Municipal)
	(vi)		(Name)
		None of the above (NOTA)	
Pla	ce	••••••	
Dat	e	••••••	

39. In form 23, the following form shall be substituted, namely:-

## "FORM-23

	[See rule 74]
	DECLARATION-CUM-RETURN OF ELECTION
	Election of Conucillor from Ward No
	*Election of Mayor of Municipal Corporation/President or Municipal Council/ Nagar
	(1) RETURN OF ELECTION
	S.NO. NAME OF CANDIDATE PARTY AFFILIATION NO. OF VO
	$\begin{array}{ccc} \text{(1)} & \text{(2)} & \text{(2)} \end{array}$
	(4)
	T-A-INI C
	Total No. of voters
	Total number of valid votes Polled
	None of the above(NOTA) Total number of votes
	Name of the above (NOTA) Total number of Votes
	Total number rejected votes.
	Total number of tendered votes
	(2) DECLARATION OF ELECTION ON THE BASIS OF RETURN
	I declare that:
	(Name)
	Of(Address)
	Has been duty elected.
	······································
ΡI	Returning Officer (Municipality) (Name)
	ateSeal
<u> </u>	GOLD CO.

\* Strike off the in appropriate alternative.

40. In form 24, the following form shall be substituted, namely:-

#### "FORM-24

#### [See rule 75]

## **CERTIFICATE OF ELECTION**

1. Returning Officer (Municipal)	ality) for the
*Municipal Corporation/Council/Naga	ar Council*
•••••••	hereby certi
that I have on	day (
	declared.
Shri./Smt./Ku	
Resident of	
	***************************************
(Name of recognized political party)	
to have been duty elected as **Mayor/ the (*) Municipal Corporation/Council/	President/Councillor from Ward No
In token there of, I have granted to him	/her this certificate of election.
	Returning Officer (Municipality)
	•••••
Place	(Name)
Date	
	Seal
* Strike off the in appropriate alternative	

DATED:

## 41. In form 25, the following form shall be substituted, namely:-

## "Form - 25 (see Rule 75-C)

OFFICE OF THE DISTRICT ELECTION OFFICER (MUNICIPALITY) DISTRICT NOTICE OF ELECTION IN RELATION TO RECALL OF MAYOR/PRESIDENT
No
Municipal Corporation Act, 1956/Under sub-section (2) of Section-47 of the Madhya Pradesh
Municipalities Act, 1961. the Government of Madhya Pradesh, Department of Urban
Administration and Development Department has made a reference to the State Election
Commission to conduct polling in relation to recall of the Mayor of municipal
corporation/President of Municipality/Nagar Council
Shri/Smton the ground that three fourths of the councillors have
signed the motion for recalling.
Whereas Under sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act. 1956/ under sub-section (3) of Section 47 of the Madhya Pradesh Municipalities Act. 1961, the State Election Commission has directed me to arrange for polling, in relation to recall of the said Mayor/President in, accordance with the rules:
Therefore, in exercise of the powers conferred by Rule 75-C of Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam. 1994. I
1) The polling shall be held on
2) The counting shall be held onat placefrom
3) Shri
PLACE:
District Election Officer(Municipality)
District

42. In form 26, the following form shall be substituted, namely:-

## "FORM-26

	(See Rule 75-F)	
	POLLING IN RELATION TO RECALL OF MAY	YOR/PRESIDENT
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Polling in relation to recall of the Mayor/President Shri/ Sm	tof
	Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Council	
Name	Voting Options	Symbol
(1)	(2)	(3)
	A-For recall	***************************************
	(To vacate office)	
*************		
	B- Against recall	
	(To continue to hold office as befo	re)
PLACE:	r R	Returning officer (Nagarpalika)
DATED:		Name

43. In form 27, the following form shall be substituted, namely:-

"Form - 27

(see Rule 75-H)

<b>Declaration of</b>	f result of	polling in	relation to	o recall	of Mavo	r/President
		P		~		

Polling was held on	in relation to recall of the
Mayor/President Shri/Smt	of Municipal
Corporation/Municipal Council/Nagar	Counciltotal
votes were cast of which	votes were in favour of recall
andvotes v	were againts recall and were
found invail.	
THEREFORE, I	the Returning Officer hereby
	f of the total number of voters casting their votes
have cast votes in favour of reca	alling the Mayor/President, consequently the
Mayor/President is deemed to have va	cated the office/shall continue to hold office as
before.	
Place:	Signature (Returning Officer)
Dated:	Name
	Seal

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्भाशीष बैनर्जी, उपसचिव.